रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज, शनिवार, 10 सितम्बर, 2022 ई० (भाद्रपद 19, 1944 शक संवत्) [संख्या 37

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	765–786	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	747–758	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	1–4	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	...	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	437–458	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

15 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 02-1001(002)/1/2021–1–I–156632/2022–श्री राज्यपाल द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा उत्तर प्रदेश संवर्ग के वर्ष 2013 बैच की अधिकारी डा0 कंचन सरन को उनके वर्तमान पद पर दिनांक 01.01.2022 से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड) (पे मैट्रिक्स लेवल-12) की स्वीकृति इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान की जाती है कि डा0 कंचन सरन द्वारा आई0ए0एस0 (पे) रूल्स, 2016 के नियम-3 के परन्तुक में उल्लिखित प्राविधान के अनुरूप आगामी 02 अवसरों में अनिवार्य मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेज-3 कार्यक्रम में प्रतिभाग कर प्रशिक्षण पूर्ण करते हुये नियुक्त विभाग को तदनुसार अवगत कराया जायेगा।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

30 मार्च, 2022 ई0

सं0 332/दो-1-2022-19/1(4)/2010–भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग के अधिकारी श्री संजय अग्रवाल, आई0ए0एस0 (आर0आर0-1984), अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.03.2022 को अपरान्ह में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

29 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 490/दो-1-2022-19/1(4)/2010–उत्तर प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30.04.2022 को अपरान्ह में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होंगे :

1–श्री आलोक सिन्हा, आई0ए0एस0 (आर0आर0-1986), कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, शासन।

2–श्री मुकुल सिंहल, आई0ए0एस0 (आर0आर0-1986), अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3–श्री प्रभात कुमार सारंगी, आई0ए0एस0 (आर0आर0-1986), स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

4–श्री एम0वी0एस0 रामी रेड्डी, आई0ए0एस0 (आर0आर0-1988), अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

5–श्री शमीम अहमद खान, आई0ए0एस0 (एस0सी0एस0-2005), सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवानिवृत्ति

31 मई, 2022 ई0

सं0 651/दो-1-2022-19/1(4)/2010–उत्तर प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.05.2022 को अपरान्ह में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होंगे :

1–श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, आई0ए0एस0 (एस0सी0एस0-2004), आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2–डा0 रमाशंकर मौर्य, आई0ए0एस0 (एस0सी0एस0-2009), अपर आयुक्त, उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर नगर।

आज्ञा से,
धनन्जय शुक्ला,
विशेष सचिव।

अनुभाग-4

कार्यालय ज्ञाप

10 मई, 2022 ई0

सं0 205/दो-4-2022-26/2(5)/2011–उप निबन्धक (एम0)/संयुक्त निबन्धक (एडमिन-1), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गई एल0एल0एम0 डिग्री/उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :

क्र0 सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनात स्थल	उप निबन्धक (एम0)/संयुक्त निबन्धक (एडमिन–1) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री–				
1	शिवम वशिष्ठ, अपर जिला जज (जू0डि0), सहसवान, बदायूं।	5057/IV-4921/Admin. (A-1) दिनांक 26.04.2022	शोभित इन्स्टीटयूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ	एल0एल0एम0	2019-20
2	नगमा खान, सिविल जज (जू0डि0), बिसौली, बदायूं।	5059/IV-4542/Admin. (A-1) दिनांक 26.04.2022	जामिया मीलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय	एल0एल0एम0	2018
3	अखिल कुमार निझावन, सिविल जज (जू0डि0) नजीबाबाद, बिजनौर।	4923/IV-4736/Admin. (A-1) दिनांक 22.04.2022	कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)	एल0एल0एम0	2017

20 मई, 2022 ई0

सं0 217/दो-4-2022–उप निबन्धक एडमिन (मिस-1) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 5198/IV–4794(लूसे)/एडमिन(ए), दिनांक 28.04.2022 के क्रम में एम0जी0ओ0 के प्रस्तर–31 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त सुश्री काव्या श्रीवास्तव (Ms. Kavya Srivastava), जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सीतापुर के सेवा अभिलेखों में उनका गृह जनपद लखनऊ के स्थान पर गोरखपुर परिवर्तित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,
घनश्याम मिश्र,
विशेष सचिव।

अनुभाग-5

प्रोन्नति

12 मई, 2022 ई0

सं0 397/दो-5-2022-35(12)/2021—श्री राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश संवर्ग के वर्ष 1997 बैच के अधिकारी डा0 हरिओम को भारतीय प्रशासनिक सेवा के एबव सुपर टाईम वेतनमान रु0 1,82,200—2,24,100 (पे मेट्रिक्स में लेवल—15) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एतद्द्वारा प्रोन्नति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-1

प्रोन्नति

19 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 639/छः पु0से0-1-2022-01(अधियाचन)/2021—चयन वर्ष 2021—2022 में उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति कोटे में अवधारित रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के अधीन गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 01.01.2022 को नियमित चयन व 24.02.2022 अनुपूरक चयन हेतु सम्पन्न बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति पत्र संख्या- 65/03/पी0/सेवा-1/2021-2022, दिनांक 04 जनवरी, 2022 व संख्या-119/08/पी0/सेवा-1/2021-2022 दिनांक 28 फरवरी, 2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। तद्क्रम में कार्यालय आदेश संख्या-19/छः पु0से0-1-2022-01(अधियाचन)/2021 दिनांक 05 जनवरी, 2022 द्वारा 31 दिसम्बर, 2021 तक उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष-26 पुलिस निरीक्षकों, कार्यालय आदेश संख्या-200/छः पु0से0-1-2022-01(अधियाचन)/2021, दिनांक 02 फरवरी, 2022 को 04 पुलिस निरीक्षकों व कार्यालय आदेश संख्या-428/छः पु0से0-1-2020)-01(अधियाचन)/2021, दिनांक 09 मार्च, 2022 को 07 तथा कार्यालय आदेश संख्या-503/छः पु0से0-1-2022-01(अधियाचन)/2021, दिनांक 04 अप्रैल, 2022 द्वारा 08 अर्थात् कुल 45 पुलिस निरीक्षकों की पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किये जाने का आदेश निर्गत किया जा चुका है।

2—अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या डी0जी0-दो/ब-61ए/2021-22, दिनांक 13 अप्रैल, 2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार दिनांक 13.04.2022 को कुल 34 रिक्तियां विद्यमान है।

अतः चयन वर्ष 2021-22 में उक्तानुसार उपलब्ध 34 रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की संस्तुति के अनुक्रम में पुलिस सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्रतिसार निरीक्षक एवं दलनायक को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उपाधीक्षक, साधारण (वेतनमान रु0 15,600—39,100 ग्रेड-पे रु0 5,400, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवल—10 रु0 56,100—1,77,500) में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :

क्र0 सं0	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक (पुराना)	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक (नया)	नाम
1	2	3	4
			सर्वश्री/श्रीमती—
1	199	73	विजय प्रताप यादव
2	201	74	श्रीमती सुधा चौधरी

1	2	3	4
3	202	75	संजय कुमार सिंह
4	207	78	उमेश चन्द्र भट्ट
5	209	79	अनिल कुमार वर्मा
6	210	80	कृष्ण मुरारी शर्मा
7	211	81	राजेन्द्र प्रसाद
8	212	82	तेजेन्द्र यादव
9	215	83	दिनेश कुमार
10	216	84	नरसिंह नारायन सिंह
11	217	85	अभय कुमार सिंह
12	219	87	प्रभा सिंह
13	220	88	रमेश (परिणामी रिक्ति के सापेक्ष)
14	221	89	श्री जसपाल सिंह पवार (परिणामी रिक्ति के सापेक्ष), दिनांक 30.04.2022 को से0नि0
15	222	90	भुवनेश्वर पाण्डेय (परिणामी रिक्ति के सापेक्ष)
16	224	92	अल्पना घोष (परिणामी रिक्ति के सापेक्ष)
17	225	93	मंजू शुक्ला (परिणामी रिक्ति के सापेक्ष)
18	226	94	राजकुमार सिंह यादव (परिणामी रिक्ति के सापेक्ष)
19	114	24	राकेश कुमार सिसौदिया
20	152	28	राजीव सिरोही
21	227	95	संजीव कुमार
22	229	96	रंजन कुमार शर्मा
23	230	97	धर्मराज यादव

1	2	3	4
24	233	100	अंजना वर्मा
25	235	101	दिनेश कुमार पाठक
26	237	102	सतीश कुमार सिन्हा (30.06.2022 को से0नि0)
27	240	103	मनोज कुमार सिंह
28	241	104	ऋषि कान्त शुक्ला
29	242	105	परशुराम त्रिपाठी
30	243	106	सुजीत कुमार दुबे
31	244	107	रवीन्द्र नाथ राय
32	245	108	विनोद कुमार यादव
33	247	110	अवनीश कुमार गौतम
34	248	111	सुजीत कुमार राय

3–प्रश्नगत चयन रिट याचिका संख्या 34799 (एस0/एस0)/2019 में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में पारित आदेश दिनांक 22.09.2021 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या 410/2021 उ0प्र0 राज्य बनाम विजय सिंह तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित रिट याचिका संख्या 20914/2018 केशवचन्द्र राय बनाम उ0प्र0 राज्य एवं तद्सम्बन्धी अन्य रिट याचिकाओं सहित यदि कोई प्रत्यावेदन/विभागीय कार्यवाही लम्बित हो तो उसमें पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

4–उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश में सम्मिलित कार्मिकों की तैनाती से पूर्व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्मिकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही एवं ई0ओ0डब्लू0/ए0सी0ओ0/सी0बी0सी0आई0डी0/सतर्कता जांच आदि प्रचलित/लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे और यदि पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुये उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

5– पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की तैनाती का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रोन्नत कोटे में रिक्ति वास्तविक रूप से उपलब्ध है। प्रोन्नति कोटा में वास्तविक रूप से रिक्तियां उपलब्ध होने पर ही प्रोन्नत आदेश के सापेक्ष निर्गत किया जायेगा।

6–उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

प्रोन्नति

31 मई, 2022 ई0

सं0 1228/6-पु0-1-22-287/2020टीसी-I—चयन वर्ष 2021—2022 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के निरीक्षक (लेखा) से पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लेखा शाखा) के पद पर प्रोन्नति कोटे में 01 रिक्ति के सापेक्ष गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 27.05.2022 को सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के निरीक्षक (लेखा) में से मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित निरीक्षक (लेखा) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लेखा शाखा) साधारण वेतनमान साधारण (वेतनमान रु0 15,600—39,100 ग्रेड-पे रु0 5400, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवल—10 रु0 56,100—1,77,500) में प्रोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :

क्र0 सं0	पी0एन0ओ0	नाम कर्मचारी	पी0एन0ओ0	वरिष्ठ/कनिष्ठ कर्मी का नाम (सेवानिवृत्त को छोड़कर)	चयन वर्ष	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	852460511	श्री राजेश सिंह यादव	842140722 853050014	रहीमुद्दीन कृष्ण मोहन सक्सेना	2019	वरिष्ठ/कनिष्ठ दोनों कर्मी पुलिस उप अधीक्षक (लेखा) के पद पर प्रोन्नत

2—प्रोन्नत कार्मिक की तैनाती से पूर्व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्मिक के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही/सतर्कता जांच आदि प्रचलित/लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0, लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे और यदि पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लेखा शाखा) के पद पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुए उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3—उक्त प्रोन्नत अधिकारी को निर्देशित किया जात है कि वे तत्काल प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ तथा अन्य सम्बन्धित को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4—पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लेखा शाखा) के पद पर प्रोन्नत कार्मिक की तैनाती का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि रिक्ति वास्तविक रूप से उपलब्ध है। वास्तविक रूप से उपलब्ध रिक्त के सापेक्ष ही प्रोन्नति आदेश के सापेक्ष तैनाती का आदेश निर्गत किया जायेगा।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

राजस्व विभाग

अनुभाग–1

अधिसूचना

08 जनवरी, 2022 ई0

सं0 19/एक–1–2022–5(40)/2011–अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 2, सन् 2007) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 4 के खण्ड (20) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लिखित जिला बहराइच की तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) के वनग्राम का क्षेत्र, जो स्तम्भ–4 में उल्लिखित वन ग्राम में सम्मिलित था, अब उससे अपवर्जित कर दिया जायेगा और उक्त अनुसूची के स्तम्भ–5 में यथा उल्लिखित नये राजस्व ग्रामों में सम्मिलित किया जायेगा और यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव, किसी न्यायालय, जिसने उक्त वन ग्रामों के सम्बन्ध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, में पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा :

अनुसूची

क्र0 सं0	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	तहसील का नाम जिसमें स्तम्भ-4 में उल्लिखित वन ग्राम व स्तम्भ-5 में उल्लिखित राजस्व ग्राम स्थित है	वन ग्रामों का नाम जिनमें स्तम्भ-2 में उल्लिखित भूमि स्थित है	राजस्व ग्राम का नाम जिसमें स्तम्भ-2 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित की जायेगी
1	2	3	4	5
1	30.911	मिहींपुरवा (मोतीपुर)	भवानीपुर	भवानीपुर
2	12.756	मिहींपुरवा (मोतीपुर)	टेड़िया	टेड़िया
3	11.979	मिहींपुरवा (मोतीपुर)	ढकिया	ढकिया
4	1.327	मिहींपुरवा (मोतीपुर)	बिछिया	बिछिया

राजस्व ग्राम भवानीपुर में सम्मिलित क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित होगी :

(1)	उत्तर	अवध फारेस्ट
(2)	दक्षिण	राजस्व ग्राम बिछिया
(3)	पूरब	अवध फारेस्ट
(4)	पश्चिम	अवध फारेस्ट

राजस्व ग्राम टेड़िया में सम्मिलित क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित होगी :

(1)	उत्तर	अवध फारेस्ट
(2)	दक्षिण	राजस्व ग्राम ढकिया
(3)	पूरब	राजस्व ग्राम कारीकोट
(4)	पश्चिम	अवध फारेस्ट

राजस्व ग्राम ढकिया में सम्मिलित क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित होगी :

(1)	उत्तर	राजस्व ग्राम टेड़िया
(2)	दक्षिण	राजस्व ग्राम चहलवा
(3)	पूरब	राजस्व ग्राम बाजपुर बनकटी/कारीकोट
(4)	पश्चिम	अवध फारेस्ट

राजस्व ग्राम बिछिया में सम्मिलित क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित होगी :

(1)	उत्तर	राजस्व ग्राम भवानीपुर
(2)	दक्षिण	अवध फारेस्ट
(3)	पूरब	अवध फारेस्ट
(4)	पश्चिम	अवध फारेस्ट

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

REVENUE DEPARTMENT

Rajaswa Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 19/One-1-2022-5(40)/2011**, dated January 08, 2022.

NOTIFICATION

January 08, 2022

No. 19/One-1-2022-5(40)/2011--In exercise of the powers under clause (20) of section 4 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012) read with clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (Act no. 2 of 2007) the Governor is pleased to declare that with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the area of the forest Village of Tehsil-Mihipurva (Motipur) of District-Bahraich, mentioned in Column-2 of the Schedule below which was included in the forest Village mentioned in Column-4, shall now be excluded there from and included in the new Revenue Villages as mentioned in Column-5 of the said Schedule and to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding already commenced or pending in any Court of Law which has hitherto exercised Jurisdiction in respect of the said forest Villages :

Schedule

Sl. no.	Area (in Hectare)	Name of Tehsil in which the Forest Village mentioned in Column-4 and Revenue Villages mentioned in Column-5 situated	Name of the Forest Villages in which the land mentioned in Column-2 is situate	Name of the Revenue Villages in which the land mentioned in Column-2 shall be included
1	2	3	4	5
1	30.911	Mihipurva (Motipur)	Bhawanipur	Bhawanipur
2	12.756	,,	Tedia	Tedia
3	11.979	,,	Dhakia	Dhakia
4	1.327	,,	Bichhia	Bichhia

1. Boundary of the Area included in Bhawanipur Revenue Village shall be as below :

(1) In North Awadh Forest

(2) In South Revenue Village-Bichhia

(3) In East Awadh Forest

(4) In West Awadh Forest

2. Boundary of the Area included in Tedia-Revenue Village shall be as below :

(1) In North Awadh Forest

(2) In South Revenue Village-Dhakia

(3) In East Revenue Village-Karikot

(4) In West Awadh Forest

3. Boundary of the Area included in Dhakia Revenue Village shall be as below :

(1) In North Revenue Village-Tedia

(2) In South Revenue Village-Chahalwa

(3) In East Revenue Village-Bajpur bankati/ karikot

(4) In West Awadh Forest

4. Boundary of the Area included in Bichhia Revenue Village shall be as below :

(1) In North Revenue Village-Bhawanipur

(2) In South Awadh Forest

(3) In East Awadh Forest

(4) In West Awadh Forest

By Order,
MANOJ KUMAR SINGH,
Additional Chief Secretary.

वित्त (लेखा परीक्षा) विभाग

अनुभाग–1

तैनाती

24 मई, 2022 ई0

सं0 आडिट-1-169336 (1)/दस-2022–श्री कृष्ण पाल, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, लखनऊ मण्डल को तात्कालिक प्रभाव से संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें उ0प्र0, लखनऊ (मुख्यालय) के पद (वेतन मैट्रिक्स लेवल–12 78,800–2,09,000) पर पदोन्नति करते हुये कार्यालय मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, लखनऊ (मुख्यालय) में संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात किये जाने का आदेश श्री राज्यपाल द्वारा प्रदान किया जाता है।

2–सम्बन्धित अधिकारी को पदोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत माना जायेगा।

अनुभाग–1

पदोन्नति

01 जून, 2022 ई0

सं0 आडिट–1–172533 (1)/दस–2022–श्री शिवनाथ वर्मा, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, मुख्यालय लखनऊ को तात्कालिक प्रभाव से संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें उ0प्र0, लखनऊ (मुख्यालय) के पद (वेतन मैट्रिक्स लेवल–12, रु0 78,800–2,09,000) पर दिनांक 01 जून, 2022 से पदोन्नति करते हुये कार्यालय मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां, लखनऊ (मुख्यालय) में संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के दिनांक 01 जून, 2022 से रिक्त होने वाले पद पर नियुक्त/तैनात किये जाने का आदेश श्री राज्यपाल द्वारा प्रदान किया जाता है।

2–सम्बन्धित अधिकारी को पदोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत माना जायेगा।

3–उक्त सम्बन्धित अधिकारी को संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

आज्ञा से,
समीर,
विशेष सचिव।

अनुभाग–2

निरस्तीकरण

04 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 10-25001(001)/1/2021-4–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांगजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के चयन परिणाम के आधार पर (अनुक्रमांक 408576) श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम तवंकल का चयन स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर किया गया।

2–शासन द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या–1/74420/2021/File No. 10/25001(001)/1/2021/4, दिनांक 28.06.2021 के द्वारा श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम तवंकल की तैनाती जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, गाजीपुर के पद पर करते हुये यह निर्देश दिये गये थे कि यदि वह उक्त आदेश के प्राप्ति के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वांछित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित निदेशक, मुख्यालय, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, प्रयागराज अथवा संबंधित मण्डल के उपनिदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनकी नियुक्ति/अभ्यर्थन को निरस्त करने के संबंध में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

3–इस संबंध में श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम तवंकल के प्रार्थना पत्र दिनांक 03 अगस्त, 2021 द्वारा छः माह की समय सीमा बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त के संबंध में शासन के पत्र संख्या I/113079/2021/File No. 10/25001(001)/1/2021/4, दिनांक 11 नवम्बर, 2021 द्वारा एक माह का अतिरिक्त समय प्रदान करते हुये अन्तिम अवसर प्रदान किया गया। श्री महेन्द्र कुमार द्वारा शासन के उक्त पत्र के संदर्भ में अपना पत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 प्रेषित किया गया जिसमें उनके द्वारा एक माह का समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में श्री महेन्द्र कुमार के जिला परीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तीन माह की प्रतीक्षा कर लिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, गाजीपुर के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया।

4–इस प्रकार नियुक्ति-पत्र जारी होने के नौ माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने तथा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी श्री महेन्द्र कुमार द्वारा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, गाजीपुर के पद पर न तो कार्यभार ग्रहण किया गया है और न ही कोई सूचना शासन को उपलब्ध करायी गयी है। इससे स्पष्ट है कि श्री महेन्द्र कुमार उक्त पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं है।

5–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांगजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के चयन परिणाम के आधार पर स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर चयनित श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम तवंकल का कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 28/5/80–का–4–1999, दिनांक 15 नवम्बर, 1999 के आलोक में अभ्यर्थन निरस्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

6–अतः लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांगजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के चयन परिणाम के आधार पर स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर चयनित अभ्यर्थी (अनुक्रमांक–408576) श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम तवंकल का शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक के पद का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से,
हरिश्चन्द्र,
विशेष सचिव।

नियोजन विभाग

अनुभाग–2

तैनाती

06 मई, 2022 ई0

सं0 1/164051(1)/पैतीस-2-2022–राज्यपाल महोदया अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ में पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्याधिकारियों के रिक्त पदों पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के प्राविधानों के अनुसार गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित अपर सांख्यिकीय अधिकारियों (वेतन बैण्ड–2, वेतनमान रु0 9,300–34,800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4,600 को अर्थ एवं संख्याधिकारी (वेतन बैण्ड–3, वेतनमान रु0 15,600–39,100 एवं ग्रेड वेतन रु0 5,400, पुनरीक्षित वेतनमान में पे मैट्रिक्स लेवल–10) के पद पर पदोन्नति करते हुये उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा

अवधि पर रखने तथा अर्थ एवं संख्याधिकारी के रिक्त पदों पर तात्कालिक प्रभाव से एतद्द्वारा निम्नवत् तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

क्र0 सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	चयनित अधिकारी का नाम	गृह जनपद	नवीन तैनाती का स्थान
1	2	3	4	5
		सर्वश्री/श्रीमती–		
1	1518	प्रताप सिंह	मुरादाबाद	जनपद सहारनपुर
2	1519	नीरज कुमार	गाजीपुर	जनपद प्रयागराज
3	1520	अनार सिंह	अलीगढ़	जनपद शाहजहांपुर
4	1521	अनिल कुमार सिंह	वाराणसी	जनपद गोरखपुर
5	1522	सुषमा वर्मा	बाराबंकी	कानपुर मण्डल (कार्यालय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या)

2–उक्त अधिकारियों की पदोन्नति मा0 अधिकरण में निर्देश याचिका संख्या 564/2016 प्रेमपाल सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 33927/2017 दीनदयाल गुप्ता व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

आज्ञा से,
आलोक कुमार,
सचिव।

बेसिक शिक्षा विभाग

अनुभाग-1

संशोधन

29 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 112/2022/986/अरसठ–1–2022–33(40)/2021 टी0सी0–लोक सेवा आयोग उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सह जिला विद्यालय निरीक्षक/उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के प्रयागराज के पत्र संख्या 125/02/ई-3/2020-21, दिनांक 01.11.2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये निम्नलिखित अभ्यर्थियों को शासन के विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 100/2022 /979/अरसठ–1–2022–33 (40)/2021 टी0सी0, दिनांक 25.04.2022 के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सह जिला विद्यालय निरीक्षक/उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पद पर छठे वेतनमान, वेतन बैण्ड–3 रु0 15,600–39,100, ग्रेड पे 5,400/ (सातवे वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित पे–बैण्ड 3, 56,100–1,77,500, ग्रेड पे लेवल-10) में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क्र0 सं0	लो0 से0 आ0 का क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पता
1	2	3	4	5	6
1	47	039532	श्री संजीव कुमार	श्री बैज नाथ प्रसाद	स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता–रामपुर लिटिहन, वार्ड नं0 5, भाटपार रानी, देवरिया, उ0प्र0। पिन–274702

2–उक्त आदेश की तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित लो0से0आ0 के क्रमांक-35 के स्थान पर 47 एवं स्तम्भ-3 में अंकित अनुक्रमांक–031912 के स्थान पर क्रमशः 039532 अंकित हो गया है। अतः उक्त आदेश की तालिका के स्तम्भ–2 में अंकित लो0से0आ0 के क्रमांक–35 एवं स्तम्भ–3 में अनुक्रमांक–031912 पढ़ा जाये।

3–शासन के उक्त विज्ञप्ति/नियुक्ति दिनांक 25.04.2022 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

आज्ञा से,
आर0 वी0 सिंह,
विशेष सचिव।

ग्राम्य विकास विभाग

अनुभाग–1

पदोन्नति

28 मार्च, 2022 ई0

सं0 R-57/38–1–2022–1–पदोन्नति/2021–उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (रु0 67,700–2,08,700) में कार्यरत श्री रवि किशोर, जिला विकास अधिकारी, बांदा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ उपायुक्त/संयुक्त मिशन निदेशक/संयुक्त आयुक्त पे-मैट्रिक्स लेवल-12 (रु0 78,800–2,09,200) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। इस बीच श्री रवि किशोर अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

08 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 R-77/38–1–2022–1–पदोन्नति/2021–उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे–मैट्रिक्स लेवल–11 (रु0 67,700–2,08,700) में कार्यरत श्री अखिलेश कुमार वैश्य, उपायुक्त सम्बद्ध कार्यालय आयुक्त कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ उपायुक्त/संयुक्त मिशन निदेशक/संयुक्त आयुक्त पे-मैट्रिक्स लेवल-12 (रु0 78,800–2,09,200) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। इस बीच श्री अखिलेश कुमार वैश्य अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

09 मई, 2022 ई0

सं0 R-103/38–1–2022–1–पदोन्नति/2021–उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (रु0 67,700–2,08,700) में कार्यरत श्री ओम प्रकाश आर्य, उपायुक्त सम्बद्ध कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ उपायुक्त/संयुक्त मिशन निदेशक/संयुक्त आयुक्त पे-मैट्रिक्स लेवल-12 (रु0 78,800–2,09,200) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। इस बीच श्री ओम प्रकाश आर्य अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

कृषि विभाग

अनुभाग–1

पदोन्नति

31 मार्च, 2022 ई0

सं0 311/12–1–2022–110/2019–श्री ओमेन्द्र पाल सिंह, उप कृषि निदेशक (उ0प्र0 कृषि सेवा समूह क पद) को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर उनसे कनिष्ठ श्री उमेश चन्द्र कटियार की संयुक्त कृषि निदेशक के पद पर पदोन्नति की तिथि 01.07.2020 से नोशनल पदोन्नति तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त कृषि

निदेशक स्तर (वेतनमान रु0 15,600–39,100, ग्रेड पे 7,600, मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर वास्तविक रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं :

2–उक्त पदोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 19564 (एस0एस0)/2019, आनन्द कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 21053 (एस0एस0)/2019, इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 22815 (एस0एस0)/2019, डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अग्रिम निर्णय के अधीन होगी।

श्री ओमेन्द्र पाल सिंह का तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

पदोन्नति

22 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 557/12–1–2022–111/19 टी0सी0–उ0प्र0 कृषि सेवा श्रेणी–2 समूह ''ख'' (विकास शाखा) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उ0प्र0 कृषि सेवा श्रेणी–1 (समूह ''क'') में उप कृषि निदेशक स्तर के पद पर वेतनमान रु0 15,600–39,100, ग्रेड पे 6,600 में पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं :

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक
1	2	3
	सर्वश्री–	
1	अश्वनी कुमार सिंह	115
2	विकेश कुमार	117
3	श्रवण कुमार सिंह	119
4	रामजतन	120

2–उक्त अधिकारियों की पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 1357/2022 राजित राम व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3–उक्त अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

30 मई, 2022 ई0

सं0 785/12–1–2022–110/2019–श्री राजीव कुमार (ज्येष्ठता क्रमांक–76), उप कृषि निदेशक (उ0प्र0 कृषि सेवा समूह–क पद) को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु0 15,600–39,100, ग्रेड पे 7,600 मैट्रिक्स लेवल–12) के पद पर पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2–उक्त पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 19564 (एस0एस0)/2019, आनन्द कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 21053 (एस0एस0)/2019, इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 22815 (एस0एस0)/2019, डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अग्रिम निर्णय के अधीन होगी।

3–यह आदेश दिनांक 01.06.2022 से प्रभावी होगा।

4–श्री राजीव कुमार की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग–3

पदोन्नति

01 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 26/2022/522/23–3–2022–18ई0एस0/2021–उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री निर्दोष कुमार सुमन को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400–67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700, पे मैट्रिक्स लेवल-13 में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2–श्री निर्दोष कुमार सुमन, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे।

3–श्री निर्दोष कुमार सुमन की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

01 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 27/2022/526/23–3–2022–18ई0एस0/2021–उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री चन्द्र प्रकाश को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400–67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700, पे मैट्रिक्स लेवल-13 में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2–श्री चन्द्र प्रकाश, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे।

3–श्री चन्द्र प्रकाश की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग–1

तैनाती

11 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 538/सत्ताईस–1–2022–21/2021–सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 सिविल संवर्ग के श्री नरेश चन्द्र उपाध्याय, नवप्रोन्नत प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
फूल चन्द्र,
संयुक्त सचिव।

चिकित्सा विभाग

अनुभाग–8

कार्यालय ज्ञाप

27 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 I–1–60660/2022–5–8099/43/2022–8–डा0 तरूण राजपूत द्वारा मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ में योजित निर्देश याचिका संख्या 2738/2011 डा0 तरूण राजपूत बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 03 जुलाई, 2015 को पारित आदेश के क्रम में महानिदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के पत्र संख्या गोपन/कोर्टकेस/2022/94, दिनांक 14 जनवरी, 2022 द्वारा महानिदेशालय स्तर पर गठित स्क्रीनिंग

कमेटी द्वारा डा0 तरूण राजपूत (वरि0 क्र0 12411-क-1) चिकित्साधिकारी सामु0 स्वा0 केन्द्र, भूडबराल, जनपद मेरठ को दिनांक 17 दिसम्बर, 2017 से 04 वर्षीय प्रथम विशिष्ट ए0सी0पी0 का लाभ स्वीकृत किये जाने की संस्तुति/प्रस्ताव ब्राडसीट सहित उपलब्ध करायी गई।

2–महानिदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गई उक्त संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त डा0 तरूण राजपूत (वरि0 क्र0 12411-क-1) चिकित्साधिकारी सामु0 स्वा0 केन्द्र, भूडबराल, जनपद मेरठ को दिनांक 17 दिसम्बर, 2017 से 04 वर्षीय प्रथम विशिष्ट ए0सी0पी0 का लाभ स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,

डा0 मन्नान अख्तर,

विशेष सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग–1

पदोन्नति

19 मई, 2022 ई0

सं0 राज्य कर-1-151/11-2022-06/2021–वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित जवाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर (वेतनमान रु0 15,600–39,100, ग्रेड पे 7,600) (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) को वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रु0 37,400–67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700, (पे मैट्रिक्स लेवल–13) एदत्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है, इनके एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 के पद पर तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे :

क्र0 सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम
		सर्वश्री–
1	1308	देवमणि शर्मा
2	1430	महेन्द्र विक्रम सिंह
3	1434	ओम प्रकाश पाण्डेय
4	1435-ए	रविन्द्र पाण्डेय

पदोन्नति

20 मई, 2022 ई0

सं0 राज्य कर-1-142/11-2022-06/2021–वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर (वेतनमान रु0 15,600–39,100, ग्रेड पे 5,400) (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल–10) को वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रु0 15,600–39,100 एवं ग्रेड वेतन रु0 6,600, (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल–11) एदत्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती हैं, इनके डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे :

क्र0 सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम
		सर्वश्री–
1	2494	मनोज कुमार यादव–I
2	2495	धनेन्द्र कुमार पाण्डेय
3	2496	संतोष कुमार–IV
4	2499	हरिकेश सिंह

सं0 राज्य कर-1-611/11-2022-07/2021–वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर (वेतनमान रु0 15,600–39,100, ग्रेड पे 6,600) (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) को वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रु0 15,600–39,100 ग्रेड वेतन रु0 7,600, (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) एदत्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती हैं, इनके ज्वाइन्ट कमिश्नर के पद पर तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे :

क्र0 सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम
		सर्वश्री–
1	1870	दीप रतन चौधरी
		(मा0 न्यायालय के निर्णय के अधीन)
2	1899	योगेश कुमार विजय
3	1900	अशोक कुमार बनर्जी
4	1902	संजय कुमार–II
5	1903	रणकेन्द्र
6	1904	अफजाल अहमद

पदोन्नति

31 मई, 2022 ई0

सं0 273/11–4–2022–30(12)/2021–वाणिज्य कर विभाग एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर के पद पर कार्यरत श्री विनय को सदस्य विभागीय, वाणिज्य कर अधिकरण के पद पर वेतनमान रु0 37,400–67,000, ग्रेड वेतन 10,000) (पे मैट्रिक्स लेवल–14) एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

2–पदोन्नत अधिकारी अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण कार्यालय, लखनऊ में तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

3–पदोन्नत अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

तैनाती

15 जून, 2022 ई0

सं0 290/11–4–2022–30(12)/2021–तात्कालिक प्रभाव से वाणिज्य कर अधिकरण के नवपदोन्नत श्री विनय, सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 को पीठ–5, वाराणसी में एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,

नितिन रमेश गोकर्ण,

प्रमुख सचिव।

अनुभाग–4

तैनाती

25 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 169/11–4–2022–30(12)/2021–तात्कालिक प्रभाव से वाणिज्य कर अधिकरण के निम्नलिखित नवदोन्नत सदस्य (विभागीय), वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 को उनके नाम के सम्मुख तालिका के स्तम्भ–3 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है :

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	तैनाती का स्थान
	सर्वश्री–	
1	दया शंकर तिवारी	पीठ–2, कानपुर
2	बाबूलाल	पीठ–2, मेरठ

25 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 169/11–4–2022–30(12)/2021–तात्कालिक प्रभाव से वाणिज्य कर अधिकरण के निम्नलिखित सदस्य (विभागीय), वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से स्थानान्तरित करते हुये उनके नाम के सम्मुख तालिका के स्तम्भ–3 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है :

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
	सर्वश्री–		
1	विवेक कुमार/ पीठ–3, कानपुर	पीठ–2, लखनऊ	.....
2	बुद्धेशमणि/पीठ फैजाबाद	पीठ–3, कानपुर	.....
3	अजीत कुमार शुक्ला/ पीठ–3, लखनऊ	पीठ–फैजाबाद	स्वानुरोध पर
4	विजय कुमार मिश्रा/ पीठ–2, मेरठ	पीठ–3, लखनऊ	स्वानुरोध पर

आज्ञा से,

संजीव मित्तल,

अपर मुख्य सचिव।

आयुष विभाग

अनुभाग–1

नियुक्ति

04 मई, 2022 ई0

सं0 1301/96-आयुष-1-2022-डब्लू-38/2022–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 231/02/डी0आर0/एस0–11/2016–17, दिनांक 25 जनवरी, 2022 द्वारा प्रदेश के राजकीय यूनानी मेडिकल कालेजों में रीडर जराहत के 01 अनारक्षित पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 रख्शिन्दा बेग पत्नी सैय्यद तनवीर अहमद, निवासिनी-143, डी0 सेक्टर एम0 आशियाना कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल–11 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षक यूनानी के पद पर मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ में रीडर जराहत के पद पर नियुक्त/तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :

1–सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2–नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3–वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या सा0–3–379/दस–2005–31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4–सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6–चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (नवीन नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8) समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र कि यदि शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। इस संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

8–सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर 7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

9–उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त यूनानी चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
शैलेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव।

अनुभाग–2

पदोन्नत

18 अप्रैल 2022 ई0

सं0 657/96–आयुष–2–2022–294/2017 टी0सी0–उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2016 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संवर्ग के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी/जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी/उपनिदेशक (वेतन बैण्ड–3 रु0 15,600–39,100 ग्रेड वेतन रु0 6,600) की संयुक्त निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (वेतन बैण्ड–3 रु0 15,600–39,100 ग्रेड वेतन रु0 7,600) के पदों पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

क्र0 सं0	वरिष्ठता क्रमांक	कार्मिक का नाम
1	2	3
1	415	डा0 प्रमोद कुमार दुबे
2	416	डा0 कैलाश नाथ सिंह
3	590	डा0 प्रवीण कुमार शर्मा
4	661	डा0 अशोक कुमार गौड़
5	1028	डा0 सुमन रहेजा
6	1063	डा0 शमीम अहमद अंसारी
7	1083	डा0 प्रेम कुमार अम्बेडकर
8	1095	डा0 नीलम द्विवेदी
9	1096	डा0 रागिनी गुप्ता
10	1097	डा0 शशि मिश्रा
11	1098	डा0 नीता शुक्ला

1	2	3
12	1102	डा0 सीता ओमर
13	1103	डा0 दीपिका आसी
14	1104	डा0 नीरज वर्मा
15	1105	डा0 अलका कपिल
16	1107	डा0 चेतना त्रिपाठी
17	1108	डा0 रागिनी गोयल
18	1110	डा0 संगीता भाटिया
19	1111	डा0 सुनीता सिंह
20	1112	डा0 अलका दुआ
21	1115	डा0 अख्तर जहां

उक्त तालिका के क्र0 सं0 20 (वरिष्ठता क्रमांक–1112) एवं क्र0 सं0 21 (वरिष्ठता क्रमांक–1115) पर उल्लिखित अधिकारियों की पदोन्नति दिनांक 01 जुलाई, 2022 से प्रभावी होगी।

उपर्युक्त प्रोन्नत संयुक्त निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0पी0–24 हिन्दी गजट–भाग 1–2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 10 सितम्बर, 2022 ई० (भाद्रपद 19, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई

आकार पत्र–1

आदेश

06 दिसम्बर, 2021

सं0 2274/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-740/एक–1–2016–20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–8 सन 2012) की धारा–59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या–741/एक–1–2016–20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै **प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई**, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03.06.2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण–(प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	कालपी	कालपी	देवपुरा	250	हेक्टेयर रकवा 0.154	5-1/जो अन्य कृषि योग्य भूमि नवीन परती	नवीन पुलिस चौकी निर्माण हेतु

उक्त गाँवसभा की भूमि का पुर्नग्रहण इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनकों उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 3,84,538.00/(मु0 तीन लाख चौरासी हजार पांच सौ अड़तीस रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे।

16 दिसम्बर, 2021

सं0 2297/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 उरई के पत्र संख्या 6648/5सी दिनांक 25 नवम्बर, 2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में निर्माणाधीन पहुॅज नदी सेतु, मऊ-मिहोनी-दवोह (म0प्र0) मार्ग में सेतु का निर्माण उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 से कराया जा रहा है सेतु निगम के पत्र सं0 1024/मऊ, महोनी/2020-21 दिनांक 21 नवम्बर, 2020 में अवगत कराया गया है कि सेतु निर्माण इकाई, उरई द्वारा वन भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव ऑनलाइन किया गया था। जिसमें नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा आपत्ति लगाई गई कि "Upload details of non forest land to be provided in liue of reserved Forest land (khasra/Khatauni/consent/deed/certificate for being incumbarance freee etc.) as additional document." जिसके क्रम में प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 उरई के निर्वतन में उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमि0 द्वारा सेतु निर्माण इकाई उरई को 0.9765 हे0 non forest land उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है । वन संरक्षक, जालौन सामाजिक वानिकी प्रभाग, उरई के पत्र सं0 828/33–1/उरई दिनांक 18.10.2021 अपना अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहमति के साथ प्रेषित किया जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी कोंच की आख्या दिनांक 04.03.2021 के द्वारा मौजा/ग्राम खेड़ा तहसील कोंच उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 के अन्तर्गत कोंच–मऊ–मिहोनी–दबोह रोड पर पहॅूज नदी पर ओवर ब्रिज व पहॅूज मार्ग निर्माण हेतु मौजा/ग्राम खेड़ा की श्रेणी 5–1/ कृषि योग्य भूमि नई परती की गाटा सं0 35 रकवा 2.104हे0 में से 1.000हे0 उप वन संरक्षक, जालौन सामाजिक वानिकी प्रभाग, उरई के नाम दर्ज किये जाने हेतु श्रेणी परिवर्तन/विनिमय की अनुज्ञा चाही गयी है। यह विनिमय नोडल विभाग/अधिकारी द्वारा वन विभाग से ऑनलाईन प्रस्ताव के माध्यम से किया जाना है। प्रस्तावित भूमि का मूल्य रु0 12,50,000/–यानि रु0 40 लाख से कम है। आख्या के साथ उनके द्वारा भूमि प्रबंध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति संलग्न की गयी है जिसमें उपरोक्त भूमि के श्रेणी परिवर्तन/विनिमय किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 687/एक–1–2020–20(5)/2016 दिनांक 06.07.2020 के द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा–59 की उप धारा–2 में उल्लिखित भूमियों/ वस्तुओं के पूर्नग्रहण, धारा–77 की उपधारा–2 के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा–101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ, उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हो, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुर्नग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशें में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मै प्रियंका निरंजन, जिलाधिकारी जालौन, स्थान उरई अधोलिखित भूमि जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 5(1) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति घिलौर द्वारा परित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलधिकारी कोंच के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि का श्रेणी वरिवर्तन करते हुये निम्नवत् प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग उरई के निवर्तन पर अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूॅ। भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

अनुसूची

क्र0सं0	जिला	तहसील व परगना	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरणः– (प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जालौन	कोंच	खेड़ा	35	2.104 हे0 में से 1.000 हे0	श्रेणी 5-1 नवीन परती	35 आंशिक	1.000	वन भूमि	सेतु निर्माण के लिये वन भूमि मौजा मऊ के गाटा संख्या 442, 443 एवं 481 क्षेत्रफल 0.976 से बदलने हेतु प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 उरई के निर्वतन पर

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी कोंच उपरोक्त भूमि का उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा–101 के अर्न्तगत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करेगे इसके उपरान्त प्रान्तीय खण्ड़ लोक निर्माण विभाग उरई नियमानुसार शासन में नोडल अधिकारी उ0प्र0 के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्ताव के द्वारा वन विभाग से वनभूमि से विनिमय की कार्यवाही करेगें तथा वन भूमि से विनियम के उपरान्त तहसीलदार कोंच को राजस्व अभिलेखों में अंकित करने हेतु अवगत करायेगें। यह भी कि सम्बन्धित विभाग भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन, वन भूमि सेतु निर्माण हेतु विनिमय के अलावा अन्य प्रयोजन में नही करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने आदि का अधिकार प्राप्त नहीं होगा यदि उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतःसमाप्त समझा जायेगा।

आकार पत्र–1

05 जनवरी, 2022

आदेश

सं0 2342/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण–(प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	उरई	उरई	नुनबई	277	9.567	5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि 5-3-ख कृषि योग्य बंजर भूमि-ग्राम सभा के जंगलात झाड़ियों आदि	पशुपालन विभाग, जनपद जालौन गौ संरक्षण केन्द्र
					278	1.749		
					290	0.474		
					487	1.214		
					488	0.243		
					5 किता योग. .	**13.247**		

उक्त गाँवसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग, पशुपालन विभाग जनपद जालौन के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनकों उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

05 जनवरी, 2022 ई0

आदेश

सं0 2342/सात-भू-लेख/डी0एल0आर0सी0–उप जिलाधिकारी माधौगढ़ की आख्या दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा भूमि प्रबंधक समिति ग्राम रूदावली, माधौगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 द्वारा ग्राम रूदावली में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की मांग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6-2 खलिहान की भूमि गाटा संख्या 501 रकबा 0.231 हे0 में से 0.131 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी-5-3(ड) की भूमि गाटा संख्या 478 ग रकबा 0.610 हे0 में से 0.131 बंजर विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन 2012) की धारा-59 की उप धारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा (2) के आधीन उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनियम की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हो, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, अधोलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी-6-2 के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबंधक समिति रूदावली, माधौगढ़ द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उप जिलाधिकारी माधौगढ़ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापस अपने अधिकार में लेकर विनियम करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँः–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण–(प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	रूदावली	501	0.231 में से 0.131	6-2 खलिहान	501	0.131	श्रेणी-5-3 बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2	जालौन	माधौगढ़	रूदावली	478-ग	0.610 में से 0.131	5-3 बंजर	478-ग	0.131	श्रेणी-6-2 खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उप जिलाधिकारी माधौगढ़ उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन करना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबंध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

प्रियंका निरंजन,
जिलाधिकारी,
जालौन, स्थान उरई।

कार्यालय, जिलाधिकारी झाँसी

21 दिसम्बर, 2021

आदेश

सं0 80/12ए-डी0एल0आर0सी0/2021-22–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश सख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा बिजौली तहसील व जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, अधोहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विविरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बिजौली	3338	0.648	5-3ड बंजर	झाँसी पेयजल पुर्नगठन योजना फेज-2 (अमृत कार्यक्रम) में प्रभावित आरक्षित वन भूमि के समतुल्य भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु (वन विभाग की) (निःशुल्क)

जिलाधिकारी
झाँसी ।

कार्यालय, जिलाधिकारी ललितपुर

24 दिसम्बर, 2021

आदेश

सं0 669/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2021-22)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1994 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं आलोक सिंह, जिलाधिकारी ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1994 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांवसभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विविरण–प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	बालाबेहट	कुचदों ग्राम सभा देवगढ़ (कुचदों)	14/25 मि0	2.500	5-3-ड़, बंजर	गौवंश वन्य बिहार की स्थापना हेतु, पशुपालन विभाग को

आलोक सिंह,
जिलाधिकारी,
ललितपुर।

कार्यालय, जिलाधिकारी आगरा

03 जनवरी, 2022 ई0

आदेश

सं0 1121/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं प्रभु एन0 सिंह, जिलाधिकारी, आगरा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार 15वीं वाहिनी, पी0ए0सी0 कालोनी के निर्माण हेतु गृह विभाग के निवर्तन पर रखते हुए निःशुल्क हस्तान्तरण करता हूँ–

अनुसूची

क्र0सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विविरण/प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
					संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	एत्मादपुर	एत्मादपुर	रहनकलां	821-मि0	हेक्टेयर 2.9610	श्रेणी–6(4) जो अन्य कारणों से अकृषिक हो बंजर	15वीं वाहिनी पी0ए0सी0 कालोनी के निमार्ण हेतु (उक्त भूमि गृह विभाग के निवर्तन पर रहेगी)

प्रभु एन0 सिंह,
जिलाधिकारी, आगरा ।

कार्यालय जिलाधिकारी महोबा

आकार पत्र-1

आदेश

20 दिसम्बर, 2021

संख्याः 240/डी0एल0आर0सी0–12ए–पुनर्ग्रहण/2021–22 शासनादेश संख्या 258/रा0–1/16(1)–73 दिनांक 05.03.1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–8 सन् 2012) की धारा –59 की उपधारा–(4) के खण्ड–(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम–55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या–740/एक–1–2016–20(5)–2016 दिनांक 03.06.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं **मनोज कुमार** जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची के उल्लिखित भूमि को, जो अब तक अपरोक्त दिनांक 05.03.1974 के शासनादेश के अनुसार अनूसूची के स्तम्भ–6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विविरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा	महोबा	टीकामऊ	824मि0	हेक्टेयर 2.034	श्रेणी–5-3ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	पशुधन विभाग को गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु।

07 जनवरी, 2022 ई0

आदेश

सं0 290/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2021-22–शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–8 सन 2012) की धारा–59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016–20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै, मनोज कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ:

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण–(प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा	महोबा	नथूपुर	435/10मि0	हेक्टेयर 1.654	श्रेणी-5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	पशुधन विभाग को गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु

मनोज कुमार,
जिलाधिकारी,
महोबा।

कार्यालय, जिलाधिकारी वाराणसी

10 जनवरी, 2022 ई0

सं0 08/सात-भू0सु0-2022–शासनादेश संख्या-1131/आठ-1-17-08 विविध/2016, दिनांक 11 जुलाई, 2018 के अन्तर्गत एवं शासनादेश 744/एक-1-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-745/एक-1-2016-(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित गांव सभा में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 6/7 में उल्लिखित ग्राम-अखरी, परगना-कसवार राजा, तहसील-सदर, जिला वाराणसी में स्थित गाटा संख्या-395 रकबा 0.028 हे0, व गाटा संख्या-397-ख रकबा 0.700 हे0 कुल 02 गाटा रकबा 0.728 हे0 जो सरकारी अभिलेख में ग्राम सभा श्रेणी-6(2) के ग्राम समाज के नाम अंकित है, भूमि को प्रधानमंत्री शहरी आवासीय योजना हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को हस्तगत कराया जायें।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	प्लाट संख्या / गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण–(प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वाराणसी	सदर	कसवार राजा	अखरी	गा0सं0 395 व 397-ख श्रेणी-6(2) ग्राम समाज भूमि	हेक्टेयर 0.728	आवास एवं शहरी नियोजन, विभाग, उ0प्र0 शासन (प्रधानमंत्री शहरी आवासीय योजना हेतु)

कौशल राज शर्मा,
जिलाधिकारी,
वाराणसी।

खाद सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ0प्र0

अधिसूचना

20 जुलाई, 2022 ई0

सं0 एफ0एस0डी0ए0(मु0) / 7063 / 2022 / 3589(1–7)–खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (केन्द्रीय अधिनियम 34, वर्ष 2006) की धारा 45 एवं सहपठित खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2011 के नियम 2.1.4 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में, प्रत्येक के सामने उल्लिखित क्षेत्र पर स्तम्भ-2 में उल्लिखित कनिष्ठ विश्लेषकों को खाद्य पदार्थों के प्रमाणीकरण हेतु अतिरिक्त कार्यभार के आधार पर खाद्य विश्लेषक घोषित किया जाता है :

अनुसूची

क्र0 सं0	नाम व पदनाम	अधिकारिता क्षेत्र
1	2	3
1	श्री राजेश कुमार, कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य)	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
2	श्री बृजेश कुमार गुप्ता, कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य)	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

अनीता सिंह,
आयुक्त।

FOOD SAFETY & DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT, U. P.

NOTIFICATION

July 20, 2022

No. FSDA(HQ)/7063/2022/3589(1-7)--In exercise of power under section-45 of Food Safety & Standard Act, 2006 (Central Act of 2006) read with Rule 2.1.4 of Food Safety & Standard Act, 2011 the Junior Analysts mentioned in Column-2 with Jurisdiction thereof over the Area mentioned against each in Column-3 of the table below are hereby authorized to work as Food Analyst on additional charge basis for testing of food samples, with effect from date of publication of this notification in the Official Gazette.

Sl. no.	Name of Designation	Area of Jurisdiction
1	2	3
1	Shri Rajesh Kumar, Junior Analyst (Food)	Whole of Uttar Pradesh
2	Shri Brijesh Kumar Gupta, Junior Analyst (Food)	Whole of Uttar Pradesh

ANITA SINGH
Commissioner.

विद्युत सुरक्षा विभाग

विभूति खण्ड–2,

गोमती नगर, लखनऊ

20 दिसम्बर, 2021

सं0 10317 (II)-मु0/चौंतीस-71–शासनादेश संख्या 1661/47-का-4-44-ई0 एम0/85 दिनांक 11 मार्च, 1991 में निहित निर्देशों के अधीन इस निदेशालय के विद्युत सुरक्षा अधिकारियों जिन्होंने 16 वर्ष या उससे अधिक की सेवा अवधि पूरी कर ली हैं तथा जिन्हें सहायक निदेशक के पद का वेतन मैट्रिक्स रु0 56,100-1,77,500 ग्रेड वेतन रु0 5,400 एवं लेवल संख्या-10 कार्यालय आदेश संख्या 8812 मु0/चौतीस-71, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया हैं, को एतद्द्वारा प्रतिष्ठा प्रदान की जाती है।

उक्त प्रतिष्ठा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि राजपत्रित घोषित होने के फलस्वरूप सम्बन्धित विद्युत सुरक्षा अधिकारियों के वेतन में कोई वृद्धि देया नहीं होगी।

अनुसूची

क्रमांक	विद्युत सुरक्षा अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	द्वितीय, वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्यता की तिथि
1	2	3	4
1	श्री बृजेश यादव	गोरखपुर जोन	07.01.2021
2	श्री परवेज अख्तर	प्रयागराज जोन	10.01.2021
3	श्री हरगोविन्द प्रसाद	गोरखपुर रीजन	01.02.2021
4	श्रीमती बिन्दू देवी	लखनऊ रीजन	15.01.2021

अनिल कुमार,
निदेशक।

उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय, लखनऊ

22 दिसम्बर, 2021

आदेश

सख्याः एफएस–01–2014 शासन की विज्ञप्ति/पदोन्नति संख्या–1878/छः–पु0–8-2021–801 (68)/2010, दिनांक 22.12.2021 द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, अग्निशमन विभाग, उत्तर प्रदेश को नियमित चयन के फलस्वरूप अग्निशमन विभाग में निदेशक (वेतनमान रू0–37,400–67,000, ग्रेड–पे रू0 8,700) (पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स–पे–लेवल –13 रू0 1,23,100–2,15,900) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत कर तैनात किया जाता है।

2–उक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका संख्या–16026(एस0बी0)/2020 उ0प्र0 राज्य बनाम जितेन्द्र कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अग्रिम आदेश के अधीन होंगे।

आनन्द कुमार,
पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 फायर सर्विस,
लखनऊ।

कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ

31 दिसम्बर, 2021

विज्ञप्ति

सं0 1024/आठ-71/2020-22– उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 की धारा–59 तथा शासनादेश सं0744/एक–1–2016–20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016, शासनादेश सं0–745/एक–1–2016–20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 एवं उ0प्र0 शासन राजस्व अनु0–1, लखनऊ के शासनादेश संख्या–11/2020/689/एक–1–2020–20(5)/2016, दिनांक 06.07.2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपभोग करते हुये मै, सुरेन्द्र सिंह, आयुक्त, मेरठ मण्डल,मेरठ जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्रांक–1347/सात–डी0एल0आर0सी0/विनिमय/गा0बाद/

2021 दिनांक 02.12.2021 में की गई संस्तुति को दृष्टिगत कर निम्न अनुसूची– क में उल्लिखित ग्राम किल्हौडा, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद की ग्राम सभा 0.7705हे0 सार्वजनिक उपयोग की भूमि को फिर से अपने अधिकार क्षेत्र में लेता हूँ तथा उक्त भूमि पूर्वी डेडीकेटिड फ्रेंट कोरिडोर परियोजना हेतु प्रतिकर की धनराशि रू0 2,00,33,000.00 (रूपये दो करोड तैंतीस हजार मात्र) जमा किये जाने तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा–77 के प्राविधानों के अन्तर्गत पुर्नग्रहित सार्वजनिक उपयोग की भूमि के सापेक्ष पूर्वी डेडीकेटिड फ्रेंट कोरिडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0मेरठ की अनुसूची–ख में उल्लिखित ग्राम किल्हौडा, परगना जलालाबाद, तहसील मोदी नगर, जिला गाजियाबाद स्थित 0.8701हे0 भूमि का विनिमय कर ग्राम सभा ग्राम किल्हौडा, परगना जलालबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने की शर्त के अधीन पूर्वी डेडीकेटिड फ्रेंट कोरिडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, मेरठ के पक्ष में हस्तान्तरित करता हूँ।

अनुसूची-क

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	प्रयोजन, जिसके लिए भूमि विनिमय की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
गाजियाबाद	मोदीनगर	जलालाबाद	किल्हौडा	किल्हौडा	868	1392	0.0030	पूर्वी डेडीकेटिड फ्रेंट कोरिडोर परियोजना हेतु
					882	1352	0.0350	
					875	1338	0.510	
					868	1339	0.0180	
					868	1128	0.0110	
					868	1104	0.0122	
					887	994	0.0030	
					878	994	0.2850	
					878	943-ख	0.0110	
					880	943-क	0.0820	
					872	942	0.1600	
					868	936	0.0035	
					868	823	0.0084	
					875	939	0.0248	
					875	1006	0.0100	
					884	1018	0.0030	
					875	660	0.0120	
					868	659	0.0060	
					868	644	0.0021	
					868	1017	0.0015	
					875	1127	0.0280	
						योग..	0.7705	

अनुसूची-ख

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विनियम के उपरान्त ग्राम सभा के नाम दर्ज करने हेतु
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
गाजियाबाद	मोदीनगर	जलालाबाद	किल्हौडा	किल्हौडा	214	1390	0.0030	ग्राम सभा, ग्राम किल्हौडा, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने हेतु
					583	1343	0.0673	
					848	1344	0.0105	
					656	1333	0.0234	
					468	1334	0.0270	
					288	1335	0.0203	
					158	1336	0.0063	
					69	1124	0.0224	
					63	1125	0.0084	
					88	1126	0.0088	
					223	1103	0.0065	
					222	1105	0.0114	
					73	995	0.0030	
					697	950	0.2210	
					757	951	0.2350	
					878	944	0.0820	
					758	827	0.0255	
					811	813	0.0018	
					600	814	0.0025	
					816	815	0.0025	
					423	1001	0.0155	
					775	1045	0.0052	
					625	643	0.0185	
					145	645	0.0170	
					727	646	0.0058	
					675	647	0.0058	
					174	649	0.0070	
					755	956	0.0067	
						योग..	**0.8701**	

सुरेन्द्र सिंह,
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पी0एस0यू0पी0–24 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 10 सितम्बर, 2022 ई० (भाद्रपद 19, 1944 शक संवत्)

भाग 2

आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

प्रशासनिक (ई-1) अनुभाग

विज्ञप्ति

31 अगस्त, 2022 ई0

सं0 543/XC-4/प्रशासनिक(ई-1)अनु0/2023–इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय वर्ष 2023 में जिन पर्वों पर बन्द रहेंगे उन अवकाशों की प्रस्तावित सूची ऐक्ट संख्या XII सन् 1887 की धारा 15 तथा उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या IV सन् 1925 की धारा 47 के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने के पूर्व सुझाव तथा आपत्ति, यदि कोई हो, के हेतु प्रकाशित की जाती है।

कोई व्यक्ति यदि कोई सुझाव अथवा आपत्ति प्रस्तुत करना चाहे तो उसको लिखित रूप से महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है जिसके उपरान्त इस सूची पर विचार कर अन्तिम रूप दिया जायेगा।

प्रस्तावित अवकाशों की सूची जिनके अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय वर्ष 2023 में बन्द रहेंगे

क्रम संख्या	पर्व/छुट्टियों के नाम	दिनांक	सप्ताह के दिन	दिवस की संख्या
1	2	3	4	5
1	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी, 2023	बृहस्पतिवार	1
2	महाशिवरात्रि	18 फरवरी, 2023	शनिवार	1
3	होली	07 तथा 08 मार्च, 2023	मंगलवार तथा बुधवार	2

1	2	3	4	5
4	रामनवमी	30 मार्च, 2023	बृहस्पतिवार	1
5	*ईद-उल-फित्र	22 अप्रैल, 2023	शनिवार	1
6	**ग्रीष्मावकाश	01 से 30 जून, 2023	बृहस्पतिवार से शुक्रवार	–
7	*ईद-उल-जुहा	30 जून, 2023	शुक्रवार	1
8	*मोहर्रम	29 जुलाई, 2023	शनिवार	1
9	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त, 2023	मंगलवार	1
10	जन्माष्टमी	07 सितम्बर, 2023	बृहस्पतिवार	1
11	गांधी जयंती	02 अक्टूबर, 2023	सोमवार	1
12	दशहरा	24 अक्टूबर, 2023	मंगलवार	1
13	दीपावली	12 तथा 13 नवम्बर, 2023	रविवार तथा सोमवार	2
14	क्रिसमस दिवस	25 दिसम्बर, 2023	सोमवार	1
15	शीतकालीन अवकाश	26 से 31 दिसम्बर, 2023	मंगलवार से रविवार	6

टिप्पणी–

1–तारांकित (*) तिथियां स्थानीय चंद्र दर्शन के अनुसार पुनः निर्धारित की जा सकती हैं।

2–प्रत्येक मास के द्वितीय शनिवार को अवकाश रहेगा।

3–जनपद न्यायाधीश पाँच दिन का स्थानीय अवकाश जिला मजिस्ट्रेट से विचार-विमर्श करके निश्चित एवं घोषित करेंगे।

4–शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2023 को गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में केवल ईसाइयों के लिए निर्बन्धित अवकाश रहेगा।

5–शुक्रवार, 21 अप्रैल, 2023 को रमजान के अंतिम शुक्रवार के उपलक्ष्य में केवल मुसलमानों के लिये निर्बन्धित अवकाश रहेगा।

6–**ग्रीष्मावकाश की अवधि में केवल सिविल कार्य (अत्यावश्यक मामलों को छोड़कर) स्थगित रहेंगे, जबकि आपराधिक मामलों की सुनवाई यथावत् जारी रहेगी।

7–यदि कैलेण्डर में वर्णित कोई राष्ट्रीय या अन्य अवकाश, द्वितीय शनिवार या रविवार को पड़ता है, तो जनपद न्यायाधीश उसके स्थान पर अतिरिक्त दिवस को अवकाश के रूप में घोषित कर सकते हैं।

8–उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधीनस्थ न्यायालयों में कार्य-दिवस एक वर्ष में 265 दिन से कम नही रहेगा।

9–प्रत्येक मास के चतुर्थ शनिवार को केवल न्यायिक अधिकारियों के लिए अवकाश रहेगा परन्तु अन्य कर्मचारियों के लिए कार्यदिवस रहेगा।

10–जनपद न्यायाधीश कैलेण्डर वर्ष-2023 में न्यायिक कार्य हेतु किसी एक चतुर्थ शनिवार को कार्य दिवस घोषित करेंगे।

11–उच्च न्यायालय के अवकाशों की सूची अलग से है।

न्यायालय की आज्ञा से,
आशीष गर्ग, उ0 न्या0 से0,
महानिबंधक।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

[ADMINISTRATIVE (E-1) SECTION]

NOTIFICATION

August 31, 2022

No. 544/XC-4/Admin.(E-1)Section/2023–The proposed list of holidays to be observed in the Courts Subordinate to the High Court of Judicature at Allahabad during the year 2023 is being published for suggestions and objections, if any, before it is finally sanctioned under section 15 of Act No. XII of 1887 and section 47 of U.P. Act No. IV of 1925.

Any one desirous of making any suggestions/objections may do so in writing to the Registrar General of the Court within fifteen days of publication of this Notification after which the list will be taken up for consideration and sanction.

Proposed list of Holidays to be observed in the Courts Subordinate to the High Court of Judicature at Allahabad during the year 2023.

Sl. no.	Holidays	Dates on which they fall	Days of the Week	No. of days
1	2	3	4	5
1	Republic Day	January 26, 2023	Thursday	1
2	Mahashivratri	February 18, 2023	Saturday	1
3	Holi	March 07 & 08, 2023	Tuesday & Wednesday	2
4	Ram Navami	March 30, 2023	Thursday	1
5	*Id-ul-Fitra	April 22, 2023	Saturday	1
6	**Summer Vacation	June 01 to 30, 2023	Thursday to Friday	–
7	*Id-ul-Zuha	June 30, 2023	Friday	1
8	*Moharram	July 29, 2023	Saturday	1
9	Independence Day	August 15, 2023	Tuesday	1
10	Janmashtami	September 07, 2023	Thursday	1
11	Gandhi Jayanti	October 02, 2023	Monday	1
12	Dashehra	October 24, 2023	Tuesday	1
13	Deepawali	November 12 & 13, 2023	Sunday & Monday	2
14	Christmas Day	December 25, 2023	Monday	1
15	Winter Holidays	December 26 to 31, 2023	Tuesday to Sunday	6

NOTES :–

1. The dates marked with asterisk (*) can be re-fixed according to the local visibility of the moon.
2. Second Saturday of each month will be a holiday.
3. The District Judge shall declare five days local holidays in consultation with the District Magistrate.
4. Friday, April 07, 2023 will be a restricted holiday on account of Good Friday for Christians only.
5. Friday, April 21, 2023 will be a restricted holiday on account of Last Friday of Ramzan for Muslims only.
6. **Only Civil Work (except urgent matters) will be suspended during the period of Summer Vacation whereas the Criminal Work shall continue as usual.
7. In case any of the National or other holidays mentioned in the Calender falls on Second Saturday or on a Sunday, it will be up to the District Judge to declare in its place additional days as holidays.
8. There shall not be less than 265 working days in the Courts Subordinate to the High Court of Judicature at Allahabad in a year.
9. Every Fourth Saturday shall be holiday only for Judicial Officers but working day for all purposes for other staff of the Distrrict Courts.
10. The District Judge shall declare the Courts open for Judicial working on any 01 Fourth-Sturday in the Calander Year 2023.
11. There is a separate list of holidays for the High Court.

By order of the Court,
ASHISH GARG, *H.J.S.*,
Registrar General.

पी0एस0यू0पी0–24 हिन्दी गजट–भाग 2–2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 10 सितम्बर, 2022 ई० (भाद्रपद 19, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर निगम, गाजियाबाद

(I.S.O. 9001, 14001 & 18001 प्रमाणित संस्था)

केबल ऑपरेटर्स एवं वाई-फाई लगाये जाने वाली कम्पनियों से लाईसेन्स-शुल्क की वसूली हेतु उपविधि

27 जुलाई, 2022 ई०

सं0 3786/न0आ0/2022-23-शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0-406/नौ-9-1997-95 जनरल/1996, नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ, दिनांक 10 फरवरी, 1997 के प्रस्तर सं0-04 में यह उल्लेखित है कि केबल ऑपरेटर्स द्वारा डिस्क एण्टीना लगा कर सड़कों पर लकड़ी के खम्भे लगाकर या नगर निगम के विद्युत् पोलों पर तार लगाकर भवन स्वामियों को कनैक्शन देकर आय अर्जित की जाती है। ऐसे डिस्क एण्टीना पर भी ऑपरेटर्स द्वारा दिये गये कनैक्शनों की संख्या के आधार पर लाईसेन्स-शुल्क निर्धारित किये जाने की व्यवस्था दी गयी है तथा मा0 कार्यकारिणी की आहुत बैठक दिनांक 29 अप्रैल, 2022 तथा मा0 सदन की आहुत बैठक दिनांक 07 जून, 2022 के द्वारा डिस्क ऑपरेटर्स के साथ-साथ वाई-फाई लगाये जाने वाली से भी डिस्क ऑपरेटर्स की भॉति ही लाईसेन्स शुल्क की धनराशि जमा कराकर लाईसेन्स निर्गत किये जाने हेतु निर्णय लिया गया।

शासन के द्वारा जारी शासनादेश एवं मा0 कार्यकारिणी/मा0 सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के क्रम में:-

(क) डिस्क ऑपरेटर्स/वाई-फाई लगाये जाने वाली कम्पनियों के द्वारा 01 एण्टीना/वाई-फाई के माध्यम से 200 कनैक्शन तक दिये जाने पर रु0 5,000 वार्षिक लाईसेन्स-शुल्क

(ख) डिस्क ऑपरेटर्स/वाई-फाई लगाये जाने वाली कम्पनियों के द्वारा 01 एण्टीना/वाई-फाई के माध्यम से 200 से अधिक कनैक्शन दिये जाने पर रु0 7,000 वार्षिक लाईसेन्स-शुल्क

अतः डिस्क ऑपरेटर्स/वाई-फाई लगाये जाने वाली कम्पनियों से लाईसेन्स-शुल्क के रूप में उपरोक्त निर्धारित धनराशि जमा कराकर लाईसेन्स निर्गत कराये जाने हैं।

महेन्द्र सिंह तंवर,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, गाजियाबाद।

कार्यालय, नगर निगम, गाजियाबाद

(I.S.O. 9001, 14001 & 18001 प्रमाणित संस्था)

27 जुलाई, 2022 ई0

सं0 3787/न0आ0/2022–23–नगर निगम, गाजियाबाद उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1969 की धारा 401, 438 451, 452 व 541 (20) (41) व (49) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर निगम, गाजियाबाद टावर स्थापना, नियंत्रण एवं विनियमन उपविधि बनाने का प्रस्ताव करता है जो नगर निगम कार्यकारिणी समिति/सदन की बैठक दिनाक 07.06.2022 द्वारा अनुमोदित है। अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित दर उक्त अधिनियम की धारा 543 की अपेक्षानुसार सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए और उसके सम्बन्ध में आपत्तियों तथा सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा सूचित व प्रकाशित करता है।

(1) यह उपविधि गाजियाबाद नगर निगम (टावर स्थापना, नियन्त्रण एवं विनियमन) उपविधि 2022 कही जायेगी।

(2) गाजियाबाद नगर निगम की सीमा में लागू होगी

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनाक से प्रवृत्त होगी।

(4) यह उपविधि टावर के संबंध में प्रकाशित पूर्व उपविधि का स्थान लेगी।

परिभाषायेः– (1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में– (एक) 'अधिनियम' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है।

(2) टावर से तात्पर्य रेडियो, दूरदर्शन मोबाइल फोन या अन्य फोन या दूरसंचार सम्बन्धित अन्य माध्यमों के संकेतक या रश्मियों भेजने और संयोजन तथा संवाहकर्ता स्थापित रखने हेतु निर्मित ऊँची संरचना से है।

(3) सेवा प्रदाता से तात्पर्य किसी कम्पनी, उसके कर्मचारी अभिकर्ता अनुज्ञापि संविदा कर्ता या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से है जिसके द्वारा अथवा निर्देशन अथवा पर्यवेक्षण में टावर लगाया जाना प्रस्तावित हो या लगाया गया हो।

4. भवन के अन्तर्गत मकान, घर के बाहर के कक्ष छादक झोपडी या अन्य घिरा हुआ स्थान या ढाँचा है चाहे वह पत्थर ईट लकड़ी मिटटी, धातु या अन्य किसी वस्तु से बना ही और चाहे यह मनुष्यों को रहने के लिए या अन्यथा प्रयुक्त होता हो और इसके अन्तर्गत बरामदे, चबूतरें मकानों की कुर्सियों दरवाजे की सीढ़ियों दीवारें तथा हाते की दीवारें और मेड तथा ऐसे ही अन्य निर्माण भी है।

5. भूमि के अन्तर्गत ऐसी भूमि है जिस पर कोई निर्माण हो रहा अथवा निर्माण हो चुका है अथवा जो पानी से ढकी हो, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, भूमि से संलग्न अथवा भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी सूत्र से बाधी हुई वस्तुयें, और ये अधिकार है जो किसी सड़क के सम्बन्ध में विधायन द्वारा सृजित हुए हो,

(छ) निगम से तात्पर्य गाजियाबाद नगर निगम से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होगें, जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हो।

(1) नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनुज्ञापी प्राप्त किए बिना कोई सेवा प्रदाता कम्पनी, कर्मचारी, अभिकर्ता, अनुज्ञापी या संविदाकर्ता या कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर किसी भूमि या भवन वाहन पर कोई टावर या इसी प्रकार की अन्य संरचना जिससे किसी सामान्य प्रज्ञावाले व्यक्ति को टावर होने का आभास हो, न तो प्रतिष्ठापित करेगा, न परिनिर्मित करेगा, न खड़ा करेगा न गाड़ेगा।

(2) निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्य अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित पूर्व अनुज्ञापी के बिना ऐसे भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई टावर न प्रतिष्ठापित करेगा, न परिनिर्मित करेगा, न खड़ा करेगा, न गाड़ेगा, और न ही किसी व्यक्ति कम्पनी, संस्था या उसके कर्मचारी, अभिकर्ता या अनुज्ञापी को ऐसे भवन या भूमि पर कोई टावर न प्रतिष्ठापित करने देगा, न परिनिर्मित करने देगा, और न खड़ा करने देगा. न गाड़ने देगा।

(3) कोई टावर इस रीति से स्थापित नहीं किया जायेगा जिससे यातायात अथवा समीपस्थ भवनों तथा उनके अध्यासियों को नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता अथवा लोक सुरक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान है।

अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया

(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची। विनिर्दिष्ट प्रपत्र में किया जायेगा जिसे रु0 100.00 भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से या निगम की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

नगर निगम कार्यालय से प्राप्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रसीद और वेबसाइट से डाउनलोड किया गया आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय उसके साथ आवेदन-पत्र के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) आवेदक द्वारा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा जारी लाईसेंस अथवा पंजीकृत प्रमाण-पत्र संलग्न किया जायेगा।

(3) प्रत्येक आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना निहित होगी जहाँ ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित टावर प्रतिष्ठापित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना खड़ा किया जाना, गाड़ा जाना चिपकाया जाना या लटकाया जाना वांछित हो।

(4) आवेदन-पत्र के साथ टावर की प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता से सुदृढ़ता सम्बन्धी रिपोर्ट, आवश्यक चित्र तथा संरचना संगणना प्रस्तुत की जायेगी।

(5) आवेदक द्वारा भूमि अथवा भवन का स्वामित्व प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। यदि आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन-पत्र के साथ ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुमति उसके स्वामित्व प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

(6) भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यह लिखित समझौता करना होगा कि किसी व्यक्तिक्रम की स्थिति में वह टावर हेतु देय प्रत्येक प्रकार के शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

(7) टावर से सम्बन्धित विवरण जैसे ऊँचाई, भार, भूतल पर स्थापित या छत पर एन्टीना की संख्या तथा अन्य अपेक्षित सूचनायें और विशिष्टियाँ अंकित की जायेगी।

(8) आटोमोटिव रिसर्च एसोसियेशन आफ इण्डिया (ARAI) द्वारा डीजी जनरेटर सेट के निर्माता को जारी टाइप टेस्ट सर्टिफिकेट (type test certificate) की प्रति आवेदक-पत्र के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित होगा।

(9) ऊँचे भवनों की दशा में अग्नि शमन विभाग से किलयरेन्स प्राप्त किया जायेगा।

(10) संरक्षित वन क्षेत्र में वन विभाग की अनापत्ति वांछित होगी।

अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्तें

(1) किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने परिनिर्मित करने खड़ा करने या गाड़ने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धनों एवं शर्तो के अधीन प्रदान की जायेगी।

(क) अनुज्ञा केवल उसी अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो बशर्ते शुल्क इस उपविधि के अधीन संदत्त और जमा किया गया हो।

(ख) टावर को समुचित स्थितियों और दशाओं में रखा और अनुरक्षित किया जायेगा।

(ग) प्रदान की गई अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(घ) सेवा प्रदाता कम्पनी या व्यक्ति ऐसी अवधि जिसके लिए अनुज्ञा दी गई थी, की समाप्ति के एक सप्ताह के पूर्व अनुज्ञा नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क जमा करेगा। शुल्क न जमा करने के स्थिति में एक सप्ताह में टावर हटा दिया जायेगा।

(ड) टावर अनुज्ञा स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, परिनिर्मित किये जायेंगे, खड़े किये जायेंगे, गाड़े जायगे, चिपकाये जायेंगे या लटकाये जायेंगे। टावर किसी हेरिटेज/संरक्षित स्मारकों /भवनों पर स्थापित नहीं किये जायेंगे।

(च) टावर से समीपस्थ भवनों के आवागमन, प्रकाश और वातायन में किसी भी रूप में व्यवधान नहीं डाला जायेगा और नही लोक माया अथवा यातायात में बाधा उत्पन्न किये जायेगी।

(छ) लोकहित में नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अनुज्ञा अवधि समाप्त होने से पूर्व भी अनुज्ञा-पत्र को निलम्बित कर दें।

(ज) ढाचों अवलम्बों और पटिटयों सहित टावर को अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा। समस्त धात्विक पुर्जों के वैद्युत भू-आच्छादन की व्यवस्था की जायेगी और सभी वायरिंग सुरक्षित और रोधित रखी जायेगी।

(झ) भूमि अथवा छत पर लगाने वाले प्रेस ट्रांस रिसीविंग सिस्टम (बी0टी0एस0) के संबंध में भवन के ढॉचे की डिजाइन तथा टावर के आधार के स्थायित्व और सुदृढता के प्रमाण-पत्र पर स्थानीय निकाय या राज्य सरकार या सी0वीआर0आई0 रूड़की या आई0आई0टी0 एन0आई0आई0टी0 या किसी अन्य संस्था के अधिकृत संरचना अभियंता द्वारा की गयी लिखित आख्या अपेक्षित होगा।

(ण) किसी भवन के छत पर कोई टावर इस प्रकार प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा जिससे छत के एक भाग से दूसरे भाग में मक्त प्रवेश में व्यवधान हो।

(ट) कोई टावर किसी छत पर तब तक प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा जब तक सम्पूर्ण छत अज्वलनशील सामग्री का न हो।

(ठ) कोई टावर भवन के विद्यमान एलाइनमेन्ट से बाहर किसी भी दशा में नहीं बढ़ेगा।

(ड) प्रत्येक टावर को पूर्णतया सुरक्षित रखा जायेगा। ऐसे भवन या संरचना, जिस पर यह प्रतिष्ठापित या परिनिर्मित हो, का सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रूप में संवितरित होगें।

(ढ) विमान पत्तनों के समीप टावर स्थापना हेतु विमान पत्तन प्राधिकरण से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(ण) टावर के स्थापना हेतु प्रथम वरीयता वन क्षेत्र एवं द्वितीय वरीयता आबादी से दूर खुले या सार्वजनिक क्षेत्र को दिया जायेगा। टावर आवासीय क्षेत्रों में लगाने से बचा जाय किन्तु जहाँ यह सम्भव न हो वहाँ यथासम्भव खुली भूमि पर उसे स्थापित किया जाये।

(त) टावर पर लगा एन्टीना समीपस्थ भवन से न्यूनतम 03 मीटर दूर और उसका निम्न धरातल अथवा छत से न्यूनतम 03 मीटर की ऊँचाई पर होगा।

(थ) टावर की स्थापना किसी शैक्षिक संस्थान, अस्पताल परिसर अथवा संकरी गलियों (जिनकी चौ0 03 मी0 से कम हो) में नहीं की जायेगी। टावर किसी अस्पताल अथवा शैक्षिक संस्था के 100 मीटर की त्रिज्या में भी स्थापित नहीं किये जायेंगे।

(द) टावर के स्थापना हेतु भूमिगत या छत पर एन्टीना के ठीक सामने कोई बिल्डिंग इत्यादि होने की स्थिति में टावर/बिल्डिंग की न्यूनतम दूरी निम्नवतः होगीः–

क्रम सं0	गुणज एन्टीनों कि संख्या	एन्टीना से बिल्डिंग/संरचना की दूरी (सुरक्षित दूरी) (मी0 में)
1	2	35
2	4	45
3	6	55
4	8	65
5	10	70
6	12	75

(ध) क्षेत्र विशेष में कई कम्पनियों द्वारा ट्रांसमिशन स्थल वांछित होने पर उन्हें यथा सम्भव एक ही टावर पर स्थापित कराना होगा

(न) टावर अथवा उस पर स्थापित एन्टीना तक सामान्य जन के पहुँच को समुचित तरीके जैसे कटीले तार छत पर जाने के दरवाजे अथवा बाउन्ड्री वाल बनाकर गेट पर ताला आदि लगा कर प्रतिबन्धित किया जायेगा। अनुरक्षण कर्मियों को भी यथासम्भव कम से कम अवधि के लिए टावर तक पहुँचने की अनुमति दी जायेगी।

(प) टावर स्थल पर साइन बोर्ड उपलब्ध कराया जायेगा जो स्पष्ट दृष्टव्य होगा और चेतावनी चिन्ह स्थल के प्रवेश द्वार पर लगाया जाना चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप में अंकित किया जाये –

1. विकिरण का खतरा, कृपया अन्दर प्रवेश न करें।

2 प्रतिबन्धित क्षेत्र।

(फ) सेवा/अवस्थापना प्रदाता कम्पनियों द्वारा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (डॉट) के टर्म सेल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार रेडिएशन के सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

(ब) प्रत्येक सेवा/अवस्थापना प्रदाता कम्पनी, उसके अभिकर्ता, अनुज्ञापी कर्मचारी या स्वामी द्वारा टावर स्थापना के समय स्थल के चारों ओर बेरीकेटिंग, टिन आदि लगाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(भ) ऐसे स्थलों जहाँ यातायात हेतु दृष्यता में बाधा और व्यवधान उत्पन्न हो वहाँ टावर लगाने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(म) जहाँ इससे स्थानीय नगरीय सुविधायें प्रभावित हो वहाँ अनुमति देय नहीं होगी।

(य) आवेदक द्वारा विभिन्न संबंधित विभागों और प्राधिकारियों से आवश्कतानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(र) टावर की स्थापना, मरम्मत या सम्बन्धित अन्य कार्यों के सम्पादन के समय या पश्चात् जन सुविधा का पूर्ण दायित्व आवेदक या सेवा प्रदाता को होगा। किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति और उसके परिणामों के लिए आवेदक या सेवा प्रदाता उत्तरदायी होगा।

(ल) टावर पर किसी प्रकार का विज्ञापन सम्प्रदर्शित नहीं किया जा सकता।

(व) भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्धारित अन्य नियम और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र

6. प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी, उसके अभिकर्ता, अनुज्ञापी, कर्मचारी या स्वामी द्वारा टावर या टावर की स्थापना से हुई दुर्घटना या किसी हानि के लिये क्षतिपूर्ति बना पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति की दशा में होने वाले जान-माल की भरपाई के शतप्रतिशत देनदारी सेवा प्रदाता कम्पनी उसके अभिकर्ता, अनुज्ञापी को होगी।

सम्पत्ति कर का आरोपण

7. टावर के पास निर्मित जनरेटर का उपकरण का चौकीदार का या अन्य कक्षों पर अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अधीन सम्पत्ति कर का आरोपण किया जायेगा और अनुज्ञा शुल्क के साथ वसूला जायेगा।

अनुज्ञा की अवधि और नवीनीकरण

8. अनुज्ञा विनिर्दिष्ट अवधि 01 वर्ष के लिए होगी। प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा या नवीनीकरण उसके जारी होने के दिनांक से अनधिक दो वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी।

टावर को हटाने की शक्ति

9. यदि कोई टावर इस उपविधि के उल्लंघन में प्रतिष्ठापित किया जाता है। परिनिर्मित किया जाता है। खड़ा किया जाता है या गाड़ा जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या सुरक्षित यातायात संचालन हेतु बाधा और अशांति का कारण हो तो नगर आयुक्त उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकता है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों को वसूल सकता है।

(एक) टावर हटाये जाने का व्यय।

(दो) ऐसी अवधि जिसके दौरान टावर प्रतिष्ठापित किया गया था भारनिर्मित किया गया था, खड़ा किया गया था, गाड़ा गया था, के लिए हुई क्षति की धनराशि।

(तीन) पूर्व से स्थापित टॉवरों के सम्बन्ध में किसी प्रकार के निर्णय की शक्ति नगर आयुक्त अथवा नगर निगम बोर्ड में निहित होगी।

टावर पर निर्बन्धन

(10) किसी संविदा या अनुबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने या गाड़ने की अनुज्ञा निम्नलिखित स्थिति में नहीं दी जायेगी।

(क) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे यातायत में बाधा उत्पन्न होती हो।

(ख) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के यान मार्ग के छोर से 10 मीटर के भीतर।

(ग) अन्य मार्गों के यानमार्ग के छोर से 05 मीटर के भीतर।

(घ) ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों सार्वजनिक भवनों, चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के ऊपर।

(ड़) जब इससे स्थानीय नागरिक सुविधायें प्रभावित और बाधित हों।

(च) किसी परिसर के बाहर क्षेपित हो।

(छ) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित निषिद्ध क्षेत्र के भीतर हो।

निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा

11. नगर निगम, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी स्थान या स्थानों, क्षेत्र या क्षेत्रों को टावर प्रतिष्ठापित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने या गाड़ने के लिए निषिद्ध घोषित कर सकती है।

अनुरक्षण

(i) सभी टावर जिनके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है। अवलम्बों, बेंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो कि ढाँचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी और यदि चमकीले अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं है तो उन पर मोर्चा आदि से रोकने हेतु रंग रोगन किया जायेगा।

(ii) प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी, उसके कर्मचारी, अभिकर्ता, अनुज्ञापी या व्यक्ति का यह कर्तव्य और दायित्व होगा कि वह टावर से आच्छादित परिसर में सफाई स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(iii) सेवा प्रदाता कम्पनी के अनुरोध पर विद्युत् संयोजन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति

(13) नगर आयुक्त या उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी या सेवा कोई निरीक्षण खोज माप या जाँच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा निष्पादित करने के लिए जो इस उपविधि के अधीन हो, किसी उपबन्ध अनुसरण के सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर पर प्रवेश कर सकता है।

शुल्क का निर्धारण तथा भुगतान की रीति

(i) इस निमित्त वार्षिक शुल्क और प्रतिभूति एवं अन्य देय-शुल्क का निर्धारण नगर निगम द्वारा किया जायेगा जो नगर निगम सीमान्तर्गत न्यूनतम रू0 25,000/– प्रति टावर प्रति वर्ष होगी।

(ii) वार्षिक शुल्क एकल किस्त में संदेय होगा। जब तक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाय तब तक किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने, परिनिर्मित कर खड़ा करने, गाड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(iii) किसी कटौती के न होने पर प्रतिभूमि की पूरी धनराशि और कटौती अथवा समायोजन होने पर अवशेष धनराशि अनुज्ञा समाप्त होने की, तिथि से एक सप्ताह में वापस कर दी जायेगी।

(iv) यह शुल्क उन टावरों पर लागू नहीं होगा, जिनको राज्य सरकार अथवा नगर निकायों द्वारा जन सुविधाएँ यथा सी0सी0टी0वी0 कैमरे, प्रकाश आदि लगाने के लिये उपयोग में लाया जा रहा हो।

(अ) निर्धारित शुल्क की वसूली भू-राजस्व की भाँति की जा सकेगी।

अनुज्ञा शुल्क– 01 अप्रैल से 31 मई के बीच जमा करने पर 20 प्रतिशत छूट होगी, अर्थात रु0 2000/– जमा करना होगा उक्त अवधि के बाद रु0 25,000/– पर 20 प्रतिशत सरचार्ज, देय होगा, अर्थात रु0 30,000/– जमा करना होगा। प्रथम बार इस उपविधि के प्रभावी दिनांक से अगले दो माह की अन्तिम तारीख तक 10 प्रतिशत छूट, तत्पश्चात् निर्धारित दर पर 20 प्रतिशत सरचार्ज देय होगा।

शास्ति और अपराधों का प्रकाशन

(i) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो पाँच हजार तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में प्रथम उल्लंघन की सिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिस दौरान ऐसे उल्लंघन जारी रहा ऐसे जुर्माने से जो पाँच सौ रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(ii) इस उपविधि के अधीन दण्डीय किसी अपराध को अपराध के लिए निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि पर करने पर नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

(iii) किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त का निर्णय मान्य होगा। न्यायिक/वैधानिक विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र गाजियाबाद होगा।

ह0 (अस्पष्ट),
नगर आयुक्त,
नगर निगम, गाजियाबाद।

कार्यालय, नगर निगम, गाजियाबाद

18 अगस्त, 2022 ई0

गाजियाबाद नगर में इन्टीग्रेटिड स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेन्ट सिस्टम (आई.एस.पी.एम.एस.) हेतु उपविधि–

सं0 3871/न0आ0/2022-23–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0–2 सन् 1959) धारा 550 के साथ पठित धारा 114 की उपधारा (9-क), धारा 540 की उपधारा (1) और धारा 124 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते है, उसका निम्नलिखित प्रारूप उपर्युक्त अधिनियम की धारा 540 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार इन्टीग्रेटिड स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेन्ट सिस्टम (आई.एस.पी.एम. एस.) को लागू किये जाने हेतु उपविधि तैयार की जा रही है।

गाजियाबाद नगर निगम इन्टीग्रेटिड स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेन्ट सिस्टम (पार्किंग स्थलों का निर्माण, संधारण और संचालन) नियमावली, 2022

1–संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. यह नियमावली ''उत्तर प्रदेश गाजियाबाद नगर निगम (पार्किंग स्थलों का निर्माण, संधारण और संचालन) नियमावली, 2022'' कही जायेगी।

2. यह गाजियाबाद नगर निगम में लागू होगी।

3. यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–परिभाषायें

(1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य ''उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959'' से है:

(ख) ''पार्किंग स्थल'' का तात्पर्य ऐसे अधिकृत और चिन्हांकित भू-खण्ड या भवन या संरचना या स्थान से है, जहाँ वाहन खड़े किये जा सकते हों

(ग) ''वाहन'' का तात्पर्य किसी पहियेदार गाड़ी से है जिसे सड़क पर प्रयुक्त किया जा सकता है और इसके अन्तर्गत बाइसिकिल ट्राईसिकिल या उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–21 सन् 1997) में यथा परिभाषित मोटर गाडी से है:

(घ) ''शुल्क'' का तात्पर्य वाहन की पार्किंग के निमित्त संगृहीत प्रभार से है:

(ड) ''संचालक'' का तात्पर्य पार्किंग स्थल के रख-रखाव प्रबन्धन और शुल्क या प्रयोक्ता प्रभार की वसूली के लिये नियमों के अधीन सक्षम स्तर द्वारा अधिकृत व्यक्ति या अभिकरण से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होगें जो अधिनियम में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हों।

3–प्रतिबन्ध

कोई भी व्यक्ति, नगर आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत पार्किंग प्रभारी चिन्हित और प्राधिकृत पार्किंग स्थलों के अतिरिक्त किसी भी सड़क, सड़क पटरी फुटपाथ अथवा सार्वजनिक स्थल पर वाहन खड़ा नहीं कर सकेगा और न करवा सकेगा।

4–पार्किंग स्थलों की व्यवस्था

विभिन्न स्थानों पर यथावश्यक पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण और विकास निम्नलिखित रीति से किया जा सकेगा।

(क) विद्यमान पार्किंग स्थलों की क्षमता विकास एवं समुचित अनुरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा। नगर निगम सीमान्तर्गत इंटिग्रेटिड समार्ट मैनेजमेंट का निर्माण शहर का सर्वे करने उपरान्त किया जायेगा।

(ख) बहुस्तरीय पार्किंग स्थल का निर्माण, उनकी संख्या में वृद्धि और आवश्यकतानुसार तलों की संख्या बढ़ाई जायेगी।

(ग) पार्को के नीचे पार्किंग स्थलों का निर्माण इस प्रकार किया जा सकेगा कि पार्को में लगभग 90 प्रतिशत भाग में भूतल पर हरितक्षेत्र हो और उसका विकास और अनुरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

(घ) पार्किंग स्थलों के लिये वैकल्पिक स्थानों यथा फ्लाईओवर के नीचे जहाँ समुचित हो हरितपट्टिका के साथ पार्किंग की व्यवस्था बाजारों मेलों, खुले सार्वजनिक स्थानों और ऐसे ही अन्य स्थलों पर जब उनका उपयोग उक्त कार्यों में न हो रहा हो, निर्धारित समयावधि में पार्किंग व्यवस्था की जा सकेगी।

(ङ) व्यावसायिक और मिश्रित भू-प्रयोग के सम्बन्ध में पार्किंग मानकों की समीक्षा और समुचित गलियों में अधिकृत पार्किंग प्राविधान करने पर विचार किया जा सकेंगा।

(च) सभी सार्वजनिक, व्यावसायिक, और संस्थागत भवनों में समुचित पार्किंग स्थल सुनिश्चित किया जायेगा।

(छ) आवासीय या व्यावसायिक भवनों के सामने सार्वजनिक मार्गो या स्थानों पर रात्रिकाल में वाहन पार्किंग करने पर पार्किंग शुल्क या प्रयोक्ता प्रभार लिया जा सकता है। स्मार्ट पार्किंग हेतु शुल्क को आनलाईन जमा कराये जाने कि व्यवस्था निगम द्वारा कि जायेगी।

(ज) निजी क्षेत्र की भागीदारी के आधार पर पार्किंग स्थल विकसित किये जाने के प्राविधानों पर विचार किया जायेगा।

(झ) जब कभी विकास प्राधिकरण विकासकर्ताओं या किसी प्रकार की संस्थाओं द्वारा नगरीय क्षेत्र में कोई विकास योजना बनाई जाय अथवा अभिन्यास तैयार या स्वीकृत किये जाय अथवा इसी प्रकार के कोई कार्य किये जायें तो समुचित पार्किंग की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

(ञ) लोक परिवहन के प्रमुख स्थलों पर 'पार्क एण्ड राइड' की

सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

(ट) नगर निगम द्वारा संचालित पार्किंग व्यवस्थाओं पर दबाव कम करने के लिए पार्किंग व्यवस्था का निजीकरण भी विचारणीय होगा।

(ठ) नगरीय क्षेत्रों में मिश्रित भू-प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाय जिससे आवासीय क्षेत्रों में कार्य स्थलों का निर्माण और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और जिससे एक स्थल से दूसरे स्थल के लिए आवागमन के लिए वाहनों और पार्किंग स्थल की आवश्यकता को सीमित किया जा सके।

(ड) सामूहिक परिवहन, मेट्रो आदि की सुविधायें उपलब्ध कराकर और निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित कर पार्किंग की मांग में कमी लाई जा सकेगी।

(ढ) नगर में रेलवे स्टेशनों, स्कूलों, कालेजों, होटलों, कारखानों, अस्पतालों, वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनावासिक भवनों और स्थानों के समीप सार्वजनिक पार्किंग के लिए नगर निगम से अनुज्ञा प्राप्त कर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी।

5–पार्किंग स्थलों का संचालन (1) नगर निगम द्वारा विकसित पार्किंग स्थलों का समुचित अनुरक्षण नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पार्किंग प्रभारी द्वारा किया जायेगा।

(2) पार्किंग स्थलों का अनुरक्षण संचालन, प्रबन्धन, विनियमन और उसके लिए प्रयोक्ता प्रभार की वसूली कराने हेतु निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति नगर आयुक्त के लिये विधि सम्मत होगीः–

(एक) निजी क्षेत्र की भागीदारी अनुबन्ध द्वारा।

(दो) सार्वजनिक नीलामी द्वारा

(तीन) निविदा आमंत्रित करने के द्वारा ।

(चार) स्थानीय निकाय के निजी श्रोतों द्वारा ।

(पॉच) अन्य रीति जैसा कि नगर निगम अथवा राज्य सरकार द्वारा विहित की जायें।

(3) उप नियम (2) में उल्लिखित किसी भी रीति के लिये निबन्ध और शर्तों का निर्धारण नगर निगम द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा और इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र-1 में आवेदन-पत्र प्राप्त किये जायेंगे।

(4) अन्य विस्तृत निबन्धन और शर्तो, प्रतिबन्धों, सूचनाओं प्रतिभूतियों प्रक्रियाओं एवं अपेक्षित निर्देशों का निर्धारण नगर निगम द्वारा किया जा सकेगा।

6–सीमा का अभ्यंकन (1) प्रत्येक पार्किंग स्थल की सीमा का अभ्यंकन किया जायेगा और सीमा चिन्ह् अंकित किये जायेगे।

(2) उपनियम (1) में नियत सीमा से बाहर पार्किंग का प्रयोग दण्डनीय होगा।

7–दरों का निर्धारण (1) वाहन की पार्किंग हेतु प्रभार की दरें नगर आयुक्त की संस्तुति पर नगर निगम द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

(2) नगर के विभिन्न क्षेत्रों को श्रेणीवार वर्गीकृत करते हुए अलग-अलग श्रेणी में पार्किंग के प्रभार की अलग-अलग दरें पीक व्यावसायिक आवर, नान पीक आवर क्षेत्र की संघनता और गतिविधियों आदि को दृष्टिगत रखते हुए नगर आयुक्त द्वारा संस्तुति की जा सकेगी।

(3) पार्किंग प्रभार की दरें प्रपत्र–2 में पार्किंग स्थल पर किसी सुस्पष्ट स्थान पर न्यूनतम 1 मीटर X .75 मीटर का पट लगाकर अथवा डिजिटल बोर्ड पर सम्प्रदर्शित की जायेगी।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पार्किंग शुल्क दर की पट को किसी कागज, रंग या अन्य प्रकार से विरूपित न किया जाये।

8–पार्किंग स्थलों की अनुज्ञा प्रदान करना (1) नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी/प्रभारी पार्किंग द्वारा निर्धारित निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन नगर निगम सीमा में सार्वजनिक पार्किंग के प्रबन्धन, संचालन एवं अनुरक्षण और पार्किंग प्रभार की वसूली की मंजूरी दी जा सकेगी।

(2) अनुज्ञा शुल्क और अन्य प्रभार ऐसी दरों पर जैसा कि नगर निगम द्वारा समय-समय पर नियत किये जाये, वसूल किये जायेंगे।

(3) अनुज्ञा केवल उस अवधि लिये वैध होगी, जिस अवधि के लिये प्रदान की गई हो।

(4) प्रदान की गई अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(5) ऐसी अवधि जिसके लिये अनुज्ञा दी गई थी, की समाप्ति के पश्चात् अनुज्ञापी वहाँ पर किसी भी प्रकार से पार्किंग का संचालन नहीं करेगा।

(6) पार्किंग स्थल पर वाहन पंक्तिबद्ध खड़े किये जायेगें ताकि अन्य वाहन को पार्किंग स्थल से बाहर निकालने में असुविधा न हो सके।

(7) लोक हित में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अनुज्ञा-पत्र, निलम्बित या निरस्त कर दें।

(8) समुचित अनुरक्षण और प्रबन्धन अनुज्ञापी द्वारा किया जायेगा।

(9) अनुज्ञापी का यह दायित्व होगा कि पार्किंग स्थल के परिसर की सफाई और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(10) पार्किंग स्थल पर हुई किसी प्रकार टूट फूट या क्षति की प्रतिपूर्ति संचालक से की जायेगी।

9–पार्किंग स्थल हटाने की शक्ति — यदि कोई व्यक्ति, संस्था, एजेन्सी, पार्टनर ठेकेदार या संचालक इस नियमावली के प्राविधनों का उल्लंघन कर पार्किंग कार्य को संचालित करता है, तो नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उसे हटवा सकता है अथवा पार्किंग का कार्य बन्द करा सकता है अथवा अन्य कोई कार्यवाही जिसे वह उचित समझे, कर सकता है।

10–पार्किंग हेतु निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा — नगर निगम या राज्य सरकार किसी क्षेत्र या वार्ड में पार्किंग स्थलों के निर्माण, विकास अथवा संचालन के लिये निषिद्ध घोषित कर सकेगी।

11–प्रवर्तन — अनधिकृत और त्रुटिपूर्ण पार्किंग के लिये वाहन हटाने के प्रभार के साथ कार्यवाही नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा ।

12–अपराधों के लिये दण्ड और उनका प्रशमन (1) इस नियमावली के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो पाँच हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
नगर आयुक्त,
गाजियाबाद नगर निगम।

कार्यालय नगर निगम, गाजियाबाद

तम्बाकू उत्पाद नियन्त्रण लाईसेन्स उपविधि 2021

27 मई0 2022 ई0

सं0 3392–न0आ0/2022-23–शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या–1080/नौ–9–21–12ज/20 नगर विकास अनुभाग–9, लखनऊ दिनांक 08.06.2021 के अनुपालन में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा (COTPA) के अन्तर्गत तम्बाकू के विक्रेताओं के लिये उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1950) की धारा 437, 438 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) धारा 452 और धारा 541 के खण्ड (20), (41) एवं (49) एवं 543 के खण्ड (क) की अपेक्षानुसार नगर निगम गाजियाबाद सीमान्तर्गत तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाईसेन्स शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियन्त्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अधिनियम की धारा 541 (20) उपविधि 2021 तैयार की गयी है, जिस पर मा0 सदन की आहुत बैठक दिनांक 27 नवम्बर 2021 के प्रस्ताव सं0-473 के द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति की गयी है।

उक्त उपविधि के संबंध में 15 दिवस के अन्दर आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु कार्यालय पत्र दिनांक 11.06.2021 के माध्यम से दो समाचार-पत्रों दैनिक ''दैनिक जागरण एवं उदय भूमि'' में दिनांक 18 जून 2021 को प्रकाशन कराया गया। तदोपरान्त् निर्धारित 15 दिवस की अवधि के अन्दर कुल 656 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए है, जिनका समिति का गठन करते हुए नियमानुसार सुनवाई कराकर निस्तारण करा दिया गया है।

तदोपरान्त् उक्त उपविधि को मा0 सदन द्वारा प्रस्ताव सं0–473 दिनांक 27 नवम्बर 2021 द्वारा अनुमोदित करते हुए सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से लागू होगी।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भः–

(1) यह उपविधि गाजियाबाद नगर निगम (तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाईसेन्स शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क) उपविधि 2021 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार गाजियाबाद नगर निगम के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

(3) यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रारम्भ होगी।

2. तम्बाकू वेंडर लाइसेंसिंग के लिए योग्यताः–

(1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) आवेदनकर्ता की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।

(3) दुकानदार के नाम का अधार कार्ड अनिवार्य है, गाजियाबाद से बाहर का आधार कार्ड होने की स्थिति में स्थानीय पार्षद से सत्यापन आवश्यक होगा।

(4) आवेदनकर्ता की तम्बाकू की दुकान किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि में नहीं होनी चाहिए।

(5) आवेदनकर्ता की दुकान स्थायी हो।

(6) उक्त के अतिरिक्त नगर निगम सीमा के अन्तर्गत स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थायी दुकान हो सकती हैं।

3. वार्षिक पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्कः–

(1) तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा, तत्पश्चात् लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थायी दुकानों हेतु वार्षिक पंजीकरण शुल्क रु0 200.00 स्थाई दुकानों हेतु रु0 1,000.00 एवं थोक स्थायी दुकानदारों के लिए रु0 5,000.00 होगा।

(2) एक वर्ष के उपरांत नवीनीकरण शुल्क थोक विक्रेता के लिए रु0 5,000.00 फुटकर स्थाई विक्रेताओं के लिए रु0 200.00 एवं फुटपाथ पर गुमटी और अस्थाई दुकानों हेतु रु0 100.00 होगा।

(3) उक्त धनराशि आवेदनकर्ता द्वारा पंजीकरण के समय ही देय होगी।

4. तम्बाकू नियंत्रण कानून एवं अधिनियम का अनुपालनः–पंजीकृत तम्बाकू विक्रेताओं को निम्नलिखित का अनुपालन अनिवार्य होगाः–

(1) शैक्षणिक संस्थानों 100 गज की परिधि में कोई भी तम्बाकू उत्पाद की दुकान संचालित नहीं की जायेगी।

(2) तम्बाकू विक्रेता द्वारा कोटपा की धारा 5 के अंतर्गत साइनेज लगाना अनिवार्य होगा।

(3) तम्बाकू विक्रेता को कोटपा की धारा 6 अ के अनुसार नाबालिग तम्बाकू उत्पाद न तो बिक्री करेगा और न ही नाबालिग द्वारा बिक्री की जायेगी।

(4) दुकान पर खुली सिगरेट की बिक्री प्रतिबंधित होगी।

5. नियम एवं शर्तेः–

(1) तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा। तत्पश्चात् लाईसेंस का नवीनाकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना लाईसेंस के तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचे जायेगें।

(2) पंजीकृत दुकानदार सिर्फ और सिर्फ तम्बाकू उत्पदों की ही बिक्री करेगा।

(3) एक व्यक्ति एक लाइसेंस की प्रक्रिया अपनाई जायेगी। दिया गया लाइसेंस अहस्तान्तरणीय होगा।

(4) एक लाइसेंस एक दुकान के लिए ही मान्य होगा।

(5) किन्ही परिस्थितियों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय न्यायालय, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम अथवा अन्य विभागों के द्वारा जारी नियम और कानून में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन अथवा उसके दिशा-निर्देश का अनुपालन पंजीकृत दुकानदारों द्वारा अनिवार्य होगा।

(6) तम्बाकू उत्पाद की बिक्री देय लाइसेंस के नियमों के उल्लंघन होने की स्थिति में लाइसेंस धारक को पहले संबंधित अधिकारी द्वारा चेतवानी दी जायेगी। लाइसेंस धारक द्वारा उल्लंघन जारी रखने पर नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा निलंबन कार्यवाही की जायेगी। फिर भी उल्लंघन जारी रखने की दिशा में लाइसेंस रद् किया जा सकता है। एक बार लाइसेंस रद् होने पर दोबारा लाइसेंस होने की प्रक्रिया पर विचार नहीं किया जायेगा।

(7) तम्बाकू बिक्री लाइसेंस धारक के अतिरिक्त कोई अन्य कामर्शियल, मॉल, थोक बाजार, स्पेन्सर्स, जनरल मर्चेन्ट, किराना दुकान आदि तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं कर पायेगा। इसमें वे दुकानें भी सम्मिलित होगी, जो गुमटी लगाते है। उक्त के उल्लंघन होने पर प्रथम बार रु0 2,000.00 जुर्माना व सामग्री जब्त, दूसरी बार रु0 5,000.00 व समाग्री जब्त, तीसरी बार रु0 5,000.00 सामग्री जब्त व प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी।

(8) लाइसेंस धारक विक्रेता केवल भारतीय तम्बाकू उत्पादों जिस पर सचित्र चेतावनी अंकित होगी एवं भारत सरकार के आयात नियमों के अन्तर्गत आयतित तम्बाकू उत्पादों, की ही बिक्री करेगा।

6. **पंजीकरण की प्रक्रियाः–**

(1) नगर निगम, गाजियाबाद में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार पर मानवीय इस्तेमाल पर निर्बधन और शर्तों के अनुरूप अनुज्ञप्ति लाइसेंस जारी करने के संबंध में जोनल अधिकारी नामित अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, जो अपर नगर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे।

(2) तम्बाकू विक्रेताओं को नगर निगम, गाजियाबाद के द्वारा निर्धारित आवेदन फर्म संख्या 22 पर जोनवार आवेदन कराना होगा।

(3) प्राप्त आवेदनों को जाँचोपरान्त सही पाये जाने पर पंजीकरण प्रामण-पत्र दिया जायेगा।

(4) अपूर्ण आवेदन स्वतः निरस्त माने जायेगें।

(5) प्रमाण-पत्र पर नामित अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ बार कोड अथवा मोहर या होलोग्राम होगा।

(6) जारी प्रमाण-पत्र को दुकान पर चस्पा करना अनिवार्य हेगा।

(7) पंजीकरण के संदर्भ में गाजियाबाद नगर निगम द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

8. **नामित अधिकारीः–** गाजियाबाद नगर निगम में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बन्धन और शर्तों के अनुरूप अनुज्ञापित लाईसेंस जारी करने हेतु पर्यावरण अभियन्ता/मुख्य कर निर्धारण अधिकारी/नगर स्वास्थ्य अधिकारी प्रभारी अधिकारी होंगे। साथ ही जोनल अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में जोन स्तर पर उपरोक्त निर्बधन एवं शर्तों के अधीन आवेदन प्राप्त होने के 7 कार्य दिवस में अनुज्ञापित लाईसेन्स जारी करेंगे जो अपर नगर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे।

9. **वेंडर लाइसेंस लागू करने की समयावधिः**–उक्त उपविधि को गाजियाबाद नगर निगम के मा0 सदन के प्रस्ताव सं0–473 दिनांक 27.11.2021 को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जो गजट की प्रकाशन की तिथि से लागू मानी जायेगी।

ह0 (अस्पष्ट),
नगर आयुक्त,
गाजियाबाद नगर निगम।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, मुहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर

24 अगस्त, 2022 ई0

सं0 467-स्वकर विनियम–नगर पालिका परिषद् मुहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (संशोधन–2011) की धारा–128(1), 140(1), 140 क के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों, नगर विकास अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या-135/9-9-11-190 द्वि0रा0वि0आ0/04 दिनांक 18 मार्च, 2011, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–408/नौ–9-10-63ज/95 टी0सी0, नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ, दिनाँक 22 फरवरी, 2010 तथा शासनादेश संख्या 1278/9-9-12–205ज/12, नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ, दिनाँक 08 जून, 2017 के अनुपालन में नगर सीमान्तर्गत भवनों/भूमियों तथा सम्पत्तियों के गृहकर एवं जलकर निर्धारण हेतु स्वमूल्यांकन (स्वकर) निर्धारण नियमावली वर्ष 2022 बनायी गयी है, जो राजकीय गजट में प्रकाशन के पश्चात् लागू होगी। उक्त नियमावली/उपविधि का पाण्डुलेख धारा 298(1) के अन्तर्गत विहित रीति से तैयार कर एक माह के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु दैनिक समाचार-पत्र ''राष्ट्रीय सहारा समाचार-पत्र'' में दिनांक 28 मई, 2022 व दैनिक समाचार-पत्र ''जनसंदेश टाइम्स'' में दिनांक 08 जून, 2022 को प्रकाशित की गयी थी। परन्तु कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने के कारण नियमावली का प्रकाशन किया जाता है।

नियमावली

1–संक्षिप्त नाम, अर्थ, परिभाषा एवं प्रारम्भ–(क) यह नियमावली स्वकर निर्धारण नियमावली, पालिका परिषद्, मुहम्मदाबाद के नाम से जानी जायेगी, जिसका तात्पर्य पालिका परिषद् मुहम्मदाबाद की सीमा में स्थित भूमि/भवन या दोनों के करारोपण से है। स्व-कर निर्धारण प्रणाली के तहत भवन स्वामी स्वयं ही अपने भवन की माप कर इस नियमावली में उल्लिखित दरों के आधार पर आगणन कर भवन पर कर (गृहकर एवं जलकर) का निर्धारण कर सकेगा। उक्त नियमावली गजट प्रकाशन के दिनाँक से प्रभावी होगी।

(ख) इस नियमावली में –

(1) ''नगर पालिका'' से तात्पर्य पालिका परिषद् मुहम्मदाबाद (गाजीपुर) से है।

(2) ''अधिनियम'' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

(3) ''अधिशासी अधिकारी'' से तात्पर्य अधिशासी अधिकारी पालिका परिषद् मुहम्मदाबाद (गाजीपुर) से है।

(4) ''अध्यक्ष/प्रशासक/बोर्ड'' का तात्पर्य पालिका परिषद् मुहम्मदाबाद (गाजीपुर) के अध्यक्ष/प्रशासक/बोर्ड से है।

(5) सम्पत्ति का तात्पर्य पालिका परिषद् मुहम्मदाबाद की सीमा में स्थित भूमि/भवन या दोनों से है।

(6) स्वकर निर्धारण का तात्पर्य किसी स्वामी या अध्यासी द्वारा इस नियमवली से संलग्न प्रपत्र ''क'' में दाखिल किये जाने वाले स्वतः निर्धारण विवरण से है।

(7) ''अध्यासी'' का तात्पर्य पालिका परिषद् मुहम्मदाबाद (गाजीपुर) की सीमान्तर्गत भवन एवं भूमि पर अध्यासन करने वाले व्यक्तियों से है।

(8) ''आवासीय भवन'' से तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसकी प्रत्येक ईकाई उसमें रहने वाले व्यक्ति के अध्यासन में हो और आवासीय उपयोग का प्राविधान हो किन्तु, उसमें व्यवसायिक उद्देश्य से उपयोग हेतु होटल/लॉज/दुकान या अन्य किसी प्रकार के भवन सम्मिलित न होंगे।

(9) ''अनावासीय भवन'' या ''व्यावसायिक भवन'' का तात्पर्य ऐसे भवन से है जिनका प्रयोग व्यवसायिक/ओद्यौगिक/गैर आवासीय गतिविधियों हेतु किया जा रहा हो।

(10) ''मिश्रित भवन'' से तात्पर्य उस भवन से है, जिसमें आवासीय/औद्यौगिक/गैर आवासीय गतिविधियॉ संचालित हो रही है।

(11) ''पक्का भवन'' से तात्पर्य ऐसे भवन से है, जिसकी दीवार, ईंट/पत्थर या ऐसे किसी सामाग्री से निर्मित हो तथा जिसकी छत आर0सी0सी0 व आर0बी0सी0 पद्धति से निर्मित हो।

(12) "अन्य पक्का भवन"/अर्द्धपक्का से तात्पर्य ऐसे भवन से है, जिसकी छत कड़ी, पटिया एवं गार्डरों तथा लोहा/सीमेंट/फाइबर की चादर से निर्मित हो।

(13) "कच्चा भवन" से तात्पर्य है ऐसे भवन से है जिसकी दीवार बिना सीमेंट के निर्मित हो तथा छत अस्थायी साधनों यथा छप्पर, टीनशेड, प्लास्टिक, लोहा, सीमेंट की चादर इत्यादि से निर्मित हो।

(14) "प्लाट/खाली प्लाट" से तात्पर्य ऐसे अकृषि क्षेत्र भूमि से है जो कम से कम दो फुट की बाउण्डरी से घिरा हो।

(14) "मासिक किराया दर" से तात्पर्य इस नियमावली में भवनों/भूमि कार्पेट आच्छादित क्षेत्रफल के लिये निर्धारित प्रति वर्ग फुट मासिक किराये से है।

(15) "वार्षिक मूल्य" से तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–140 में निर्दिष्ट वार्षिक मूल्य से है जिसमें आवासीय या अनावासीय भूमि के प्रति वर्गफुट किराये की मासिक दर में नियमावली द्वारा निर्धारित किये जाने वाले गुणक से गुणा करके निकालने पर निकाले गये मूल्य का 12 गुणा जो भवन के सन्निर्माण की प्रकृति भारतीय स्टाम्प अधिनियम–1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय दर और ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्र में किराये के लिए लागू वर्तमान दर और ऐसे अन्य कारकों के आधार पर और ऐसे ढ़ंग में जैसा कि विहित किया जाये, प्रत्येक दो वर्ष में एक बार निर्धारित की जाये।

(16) "आच्छादित क्षेत्रफल" से तात्पर्य कुर्सी क्षेत्र से उस निर्मित भवन के प्रत्येक तल के कुल आच्छादित क्षेत्र से है।

(17) "कार्पेट एरिया" से तात्पर्य अधिनियम की धारा–140 की उपधारा-1 के स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट कार्पेट एरिया से है। कार्पेट एरिया की गणना।

(18) "मुख्य मार्ग" से तात्पर्य निकाय क्षेत्र के प्रमुख मार्ग जिनकी चौड़ाई दस फुट से अधिक हो जबकि "अन्य मार्ग" से तात्पर्य जिनकी चौड़ाई दस फुट से कम हो। "मार्ग की चौड़ाई" मार्ग के दोनों ओर स्थित सरकारी नाली/नाला की बीच की दूरी से है।

2. कार्पेट एरिया एवं वार्षिक मूल्य (ए0आर0बी0) Annual Rental Value–(क) अधिनियम की धारा–140 (1) खण्ड क के अनुसार वार्षिक मूल्य से तात्पर्य इस नियमावली के अनुसार नियत आवासीय एवं अनावासीय भवनों के प्रति वर्गफुट मासिक किराये की दर में नियमों द्वारा नियत किये जाने वाले गुणक से गुणा करने पर प्राप्त का 12 गुणा मूल्य से है।

वार्षिक मूल्य = आवासीय/अनावासीय क्षेत्र का कार्पेट एरिया × निर्धारित प्रति ईकाई क्षेत्रफल का मासिक किराया दर × 12

या

आच्छादित क्षेत्रफल × निर्धरित प्रति ईकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12 का 80 प्रतिशत वार्षिक मूल्य वार्षिक मूल्यांकन (ए0आर0बी0) के निर्धारण हेतु प्रतिवर्गफुट मासिक किराया की दरें अधिनियम की धारा 140 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेंगी। वार्षिक मूल्य की गणना हेतु कार्पेट एरिया की गणना निम्नानुसार की जायेगी–

(1) कमरे-आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप।

(2) आच्छादित बरामदा-आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप।

(3) बालकनी, गैलरी, रसोई और भण्डार-आन्तरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप।

(4) गैराज-आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप।

(5) स्नानघर, शौचालय, पोर्टिको और सीढ़ी द्वारा आच्छादित क्षेत्र, कार्पेट एरिया (कारपेट क्षेत्र का भाग नहीं होगा।)

(ख) भवन/भूमि पर कर के निर्धारण का सम्बन्ध केवल सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कर के अधिरोपण से है न कि किसी प्रकार के स्वामित्व निर्धारण से है। करारोपण हेतु एक सर्वेक्षण करवाया जायेगा जिसमें आवासीय और व्यावसायिक भवनों को पृथक-पृथक संख्या आवंटित की जायेगी। यदि कोई भवन/सम्पत्ति आवासीय है तो उसको R-1, R-2..... तथा यदि भवन/सम्पत्ति व्यवसायिक है तो उसे C-1, C-2.... आदि डाले जायेंगे और यदि भवन मिश्रित है तो उसे CR-1, CR-2.... संख्या डाली जायेगी।

(ग) यदि भवन या भूमि में संयुक्त रूप से कई पक्षकार हैं तो आपसी सहमति से आवासीय भवनों/सम्पत्ति की नम्बरिंग R1/1, R1/2... व्यवसायिक भवन है तो C1/1, C1/2... तथा मिश्रित भवनों हेतु CR1/1, CR1/2...

(घ) भवनों/सम्पत्ति का पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्र **"क"** पर भरकर पालिका परिषद् मुहम्मदाबाद (गाजीपुर) के कार्यालय में जमा किया जायेगा। यदि भविष्य मे भवन का विस्तार या उसके प्रयोग में कोई परिवर्तन होता है तो उसका विवरण प्रपत्र "ख" में भरकर नगर पालिका कार्यालय मुहम्मदाबाद में जमा किया जायेगा। प्रपत्र "क" व "ख" नगर पालिका कार्यालय से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकेगा।

3–कर की दर–(क) कर का निर्धारण प्रमुख मार्गों जिनकी चौड़ाई दस फुट से अधिक तथा अन्य मार्गों जिनकी चौड़ाई दस फुट से कम होगी, के आधार पर निम्न सूचीयों में उल्लिखित प्रति वर्गफुट मूल्य के वार्षिक मूल्य के अनुसार किया जायेगा–

नगर के मार्गों/सड़कों/गलियों पर स्थित सम्पत्तियों स्वकर निर्धारण हेतु मासिक दरों का विवरण (प्रति वर्ग फुट में)

सड़क की लम्बाई	आर0सी0सी0/आर0बी0सी0 छत सहित पक्का भवन (रुपये में)	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	रिक्त भूमि/भू-खण्ड
10 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित	0.75	0.60	0.40	0.30
03 मीटर से अधिक व 10 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित	0.60	0.50	0.35	0.25
03 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर	0.50	0.40	0.30	0.25

(ख) (1) सड़कों की चौड़ाई के संबंध में कोई भी विवाद होने पर अधिशासी अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(2) गृहकर वार्षिक मूल्य का दस प्रतिशत तथा जलकर वार्षिक मूल्य का 5 प्रतिशत होगा जिसे प्रत्येक दूसरे वर्ष अधिशासी अधिकारी द्वारा पाँच प्रतिशत बढ़ाया जायेगा। पाँच प्रतिशत से अधिक की वृद्धि निकाय बोर्ड की स्वीकृति के उपरान्त की जा सकेगी।

(3) जिस सम्पत्ति के वार्षिक मूल्यांकन के मूल्य का 10 प्रतिशत रू0 600.00 से अधिक होगा, उस पर ही जल कर देय होगा। यदि सम्पत्ति के वार्षिक मूल्यांकन के मूल्य का 10 प्रतिशत रू0 600.00 से कम है, तो उस पर जल मूल्य देय होगा।

(4) जब कभी भवन स्वामी द्वारा अध्यासित भवन को किराये पर दिया गया हो या किराये से वापस अपने अध्यासन से लिया गया हो, तो इसके 03 माह के अन्दर प्रपत्र "ख" में ही पुनः विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(5) जब कभी भवन के कार्पेट एरिया/भूमि के क्षेत्रफल अथवा दोनों मे कोई परिवर्तन या परिवर्धन किया जाता है तो उसके 03 माह के अन्दर यथास्थिति भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा प्रपत्र "ख" में ही पुनः विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

4–वार्षिक मूल्यांकन में कमी/वृद्धि–वार्षिक मूल्यांकन में कमी या वृद्धि इस प्रकार से होगी–

(क) स्वतः अध्यासित भवनों के लिये छूट–

(1) 10 वर्ष तक के पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(2) 10 वर्ष से 20 वर्ष तक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 32.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(3) 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 40 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) किराये पर उठाये गये आवासीय भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में वृद्धि–

(1) 10 वर्ष तक के पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 225 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

(2) 10 वर्ष से 20 वर्ष के अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 197.50 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

(3) 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 180 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

(ग) निम्नलिखित सम्पत्तियाँ करों के उद्ग्रहण से मुक्त होंगी–

(1) मृतकों के निस्तारण से सम्बन्धित प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त भवन या भूमि।

(2) भवनों और भूमि या उनके भाग जिनका अधिभोग और उपभोग अनन्य रूप से सार्वजनिक पूजा के लिए किया जाता हो।

(3) प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 में यथा परिभाषित प्राचीन संस्मारक जो किसी ऐसे संस्मारक के सम्बन्ध में राज्य सरकार के किसी निर्देश के अध्यधीन हो।

(4) समस्त भवन एवं सम्पत्ति जो पालिका परिषद् मुहम्मदाबाद (गाजीपुर) के स्वामित्व में हो।

नोट–(1) उक्त सम्पत्तियों में यदि अन्य व्यावसायिक कार्य किया जाता है तो तद्नुसार उन पर कर का निर्धारण एवं उद्ग्रहण किया जायेगा।

(2) रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम, 1972 के अधीन आने वाले आवासीय भवनं जो पालिका परिषद् मुहम्मदाबाद (गाजीपुर) की सीमान्तर्गत है उसके किराये का निर्धारण उक्त अधिनियम के बजाय उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा तथा ऐसे भवनों के करों की देयता अब किरायेदार की होगी।

5–कर की देयता–(क) गृहकर की देयता वार्षिक होगी अर्थात् 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। यदि कर की धनराशि अधिक जमा कर ली गई है तो जांचोपरान्त अधिक जमा की गई धनराशि की वापसी किसी भी दशा में नहीं की जायेगी। उक्त धनराशि का समायोजन अगले वित्तीय वर्षों में किया जायेगा।

(ख) स्वामी या अध्यासी पर कर की देयता अग्रिम होगी जिसे प्रत्येक दशा में 31 मार्च के पहले जमा करना होगा। दिसम्बर तक अग्रिम कर जमा करने पर निकाय बोर्ड कर में छूट दे सकेगी जिसमें अधिशासी अधिकारी क्षेत्रवार कैम्प लगाकर कर की वसूली कर सकेगा। परन्तु, वित्तीय वर्ष की समाप्ति (31 मार्च) तक करों का भुगतान न होने की दशा में गत वर्ष के गृहकर के चालू मांग पर 10 प्रतिशत सरचार्ज देय होगा, जो 01 अप्रैल से लागू होगा। परन्तु, जिन सम्पत्तियों के वार्षिक मूल्यांकन में विवाद या किसी प्रकार के न्यायालयी विवाद के लम्बित रहने की दशा में विशेष परिस्थितियों में अधिशासी अधिकारी सरचार्ज में छूट प्रदान कर सकता है।

(ग) जिन भवनों/व्यापारिक भवनों में किरायेदार और सर्वे में भवन स्वामी का पता नहीं चलता है तो ऐसे भवनों के किरायेदार/अध्यासी को ही गृहकर का भुगतान करना होगा परन्तु, करों के भुगतान से उसका स्वामित्व सिद्ध नहीं होगा।

(घ) यदि एक ही घर में कई परिवार या हाउसहोल्ड हैं तो आपसी सहमति से वे अलग-अलग कर दे सकेंगे जिसका निर्धारण नियमावली के बिन्दु संख्या-2 के कार्पेट एरिया व वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा।

6–सम्पत्ति को दर्ज करने व सम्पत्ति के हस्तानान्तरण के संबंध में उपबंध–(क) कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी भवन या भूमि पर अपना नाम अध्यासी अथवा स्वामी के रूप में (पर्याप्त साक्ष्य के साथ) अंकित कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रपत्र "क" पर आवेदन करना होगा और यदि उसके नाम के सम्बन्ध में कोई आवेदन निरस्त करने हेतु विचाराधीन है तो उसका उल्लेख लिखित रूप में किया जायेगा। अन्यथा उसके बाद कर सूची में आवेदन के अनुसार नाम कर निर्धारण सूची में अंकित कर दिया जायेगा।

(ख) यदि किसी करदाता अथवा भवन/भूमि के स्वामी/अध्यासी की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस को सम्पूर्ण बकाये कर के भुगतान के साथ मृत्यु के दिनांक से तीन माह के भीतर इसकी लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा ताकि करारोपण उनके वारिसों पर किया जा सके। ऐसे मामलों में नाम परिवर्तन हेतु नामान्तरण शुल्क रू0 1,000.00 देय होगा। परन्तु, यदि भवन अथवा भूमि जिस पर कर आरोपित है स्वामित्व विक्रय-पत्र के आधार पर हस्तानान्तरित होता है तो स्वत्व हस्तानान्तरित करने वाले व्यक्ति तथा संस्था अथवा स्वत्व पाने वाले व्यक्ति या संस्था ऐसे हस्तानान्तरण के तीन माह के अन्दर उसकी सूचना प्रेषित करना अनिवार्य होगा। ऐसे प्रकरण में विक्रय विलेख के बाजारी मूल्य के अनुसार नामान्तरण हेतु शुल्क निम्नवत् होगा –

(1) रू0 1.00 से 10,00,000.00 बाजारी मूल्य तक	–	1,000.00
(2) रू0 10,00,001.00 से अधिक बाजारी मूल्य पर	–	2,500.00

नोट–यदि किसी भवन/भूमि का क्रेता या उत्तराधिकारी तीन माह के अन्दर नामान्तरण हेतु सूचना देने में असफल रहता है तो तीन माह के बाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते समय उपरोक्तानुसार निर्धारित फीस के साथ-साथ विलम्ब शुल्क रू0 500.00 प्रतिवर्ष देय होगा। पालिका परिषद् मुहम्मदाबाद (गाजीपुर) की ओर से अधिशासी अधिकारी जैसी भी परिस्थिति हो नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-158(1)(2) के अन्तर्गत पत्र/कर्मचारी भेजकर किसी भवन/भूमि के स्वामी को उसकी सम्पत्ति के विवरण के दस्तावेज मंगा सकेगा।

7–शास्ति–उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299 (1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पालिका परिषद् मुहम्मदाबाद (गाजीपुर) यह निर्देश देती है कि–

(1) उपर्युक्त नियमावली के किसी भी नियम का उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध होगा जिसके जुर्माने की सीमा रू0 1,000.00 (एक हजार रूपये मात्र) तक हो सकती है और यदि उल्लंघन जारी रहे तो प्रथम दोषसिद्ध होने के दिनाँक के पश्चात् से प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे मे ये सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है जो कि रू0 250.00 (दो सौ पच्चास रूपये मात्र) प्रतिदिन हो सकता है।

(2) कार्पेट एरिया में 10 प्रतिशत या उससे अधिक के परिवर्तन होने पर या प्रयोग बदलने पर (निर्माण पूर्ण होने या प्रयोग बदलने के तीन माह के भीतर) स्वामी/अध्यासी को निर्धारित प्रारूप **''ख''** पर सूचना देनी होगी। ऐसा करने में असमर्थ पाये जाने पर रू0 1,000.00 (रू0 एक हजार) का अर्थदण्ड देय होगा।

(3) निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वामी/अध्यासी द्वारा विवरण न प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में या कार्पेट एरिया के क्षेत्रफल को छुपाकर कम क्षेत्रफल का विवरण देने या भूमि/भवन का उपयोग बदलने की स्थिति की सूचना तीन माह के भीतर न देने की स्थिति में रू0 1,000.00 (रू0 एक हजार) का अर्थदण्ड देना होगा।

(4) नियम-7 के उपनियम 1, 2 व 3 के अधीन शास्तियों का प्रशमन अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा शास्ति के अधिकतम धनराशि के एक तिहाई से अन्यून तथा आधे से अनाधिक धनराशि पर किया जा सकेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
मुहम्मदाबाद, गाजीपुर।

कार्यालय नगर पंचायत गोवर्धन, मथुरा

30 अगस्त, 2022 ई0

सं0 238/न0प0गो0/2022-23–नगर पंचायत, गोवर्धन, जनपद मथुरा ने अपनी सीमा के अन्तर्गत पार्किंग शुल्क उपविधि उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मा0 निकाय बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव में पार्किंग उपविधि हेतु दिनांक 23 जुलाई, 2022 को स्वीकृति प्रदान की गयी है, तथा गहन रुप से विचार विमर्श उपरान्त पारित किया गया है। तत्क्रम में उपविधि का नियमानुसार समाचार-पत्रों में प्रकाशन कराकर एवं निकाय कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर, प्रकाशन के उपरान्त 15 दिनों तक उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव कार्यालय में आमंत्रित किये जा रहे है। उपनियमावली का विवरण निम्नलिखित है।

पार्किंग उपविधि, 2022

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) यह उपविधि नगर पंचायत गोवर्धन, मथुरा ''पार्किंग उपविधि, 2022-2023'' कही जायेगी।

(2) यह नगर पंचायत गोवर्धन, मथुरा की सीमा में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–परिभाषाएँ–

(1) जब तक विषय संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में–

[एक] "अधिनियम'' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

[दो] ''निकाय'' से तात्पर्य नगर पंचायत, गोवर्धन, मथुरा से है।

[तीन] ''अधिशासी अधिकारी'' से तात्पर्य नगर पंचायत गोवर्धन, मथुरा के अधिशासी अधिकारी से है।

[चार] ''पार्किंग स्थल'' का तात्पर्य नगर पंचायत गोवर्धन मथुरा हेतु गठित समिति द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार चिहिन्त किये जाने वाले पार्किंग स्थलों/स्टैण्ड़ों से है, जहाँ पर चलने वाले सवारी वाहनों का ठहराव सवारी उतारने/चढ़ाने तथा माल लोड/अनलोड़ किया जाता है, जिनका अनुमोदन अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गोवर्धन, मथुरा द्वारा किया गया हो।

[पाँच] प्राईवेट/व्यवसायिक पार्किंग का तात्पर्य ऐसे पार्किंग स्थल से है जो निजी भूमि पर व्यावसायिक उद्देश्य से वाहनों की पार्किंग/वसूली की जाती है।

[छः] प्राईवेट पार्किंग का तात्पर्य चिन्हित स्थल जहां पर दिन/रात में हल्के चार पहिया वाहन जो व्यक्तिगत प्रयोग में लाये जाते हैं जैसे कार, जीप, स्पोर्टस यूटीलिटी व्हीकल (एस0यू0वी0) इत्यादि पार्क किये जायेंगे, समझा जायेगा।

[सात] व्यावसायिक पार्किंग का तात्पर्य व चिन्हित स्थल जहां पर भारी/वाणिज्यिक वाहन जो लघु/विस्तृत औद्योगिक इकाईयां के प्रयोग में लाये जाते हैं, जैसे व्यवसायिक तीन पहिया वाहन, ट्रक, मिनी ट्रक, ट्रोली इत्यादि पार्क किये जायेंगे समझा जायेगा।

[आठ] सार्वजनिक वाहन का तात्पर्य नगर पंचायत गोवर्धन, मथुरा सीमा क्षेत्र में चलने वाले सवारी वाहनों तथा माल लोड़/अनलोड़ करने वाले वाहन से है।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित हों।

3–प्रतिषेध–

(1) अधिशासी अधिकारी द्वारा घोषित किये गये पार्किंग स्थलों/स्टैण्डों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर कोई सार्वजनिक वाहन नहीं खड़े किये जायेंगे। निर्धारित पार्किंग स्थल/स्टैण्ड के अतिरिक्त अन्य किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन खड़े पर सवारी भरना उपविधि का उल्लंघन माना जायेगा।

(2) कोई भी प्राइवेट/व्यवसायिक वाहन नो पार्किंग जोन पर खड़ा नहीं किया जायेगा। यदि कोई भी प्राईवेट/व्यवसायिक वाहन (जो नो पार्किंग जोन में) खड़े पाये जायेंगे, उन्हें चैन माउन्टेड़ क्रेन वाहन द्वारा उठाकर पार्किंग स्थल/स्टैण्ड पर खड़ा कर दिया जायेगा। पार्किंग स्थल/स्टैण्ड पर ले जाने एवं खड़ा करने के दौरान आने वाले खर्च और यदि वाहन में कोई टूट-फूट अथवा क्षति होती है तो उसके लिये नगर पंचायत उत्तरदायी नहीं होगा।

(3) चेन माउन्टेड क्रेन वाहन या अन्य किसी विधि से उठाये गये वाहनों पर उपविधि में उल्लिखित समिति द्वारा निर्धारित किये गये दण्ड शुल्क एवं हर्जे खर्चे की धनराशि जमा करने के उपरान्त ही चेतावनी के साथ वाहन को छोड़ा जायेगा।

(4) वाहन जब्त किये जाने से 8-8 घण्टे के अन्तराल पर जुर्माने की धनराशि में वृद्धि होती जायेगी, जिसके लिये वाहन स्वामी स्वयं उत्तदायी होगा। दण्ड शुल्क एवं हर्जे खर्चे की वसूली पार्किंग शुल्क के अतिरिक्त देय होगा जिसकी वसूली पार्किंग प्रभारी द्वारा की जायेगी, जिसका पार्किंग स्थल के ठेकेदार से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

(5) निर्धारित पार्किंग स्थल/स्टैण्ड के अतिरिक्त नियत परिधि में खड़े पाये जाने वाले वाहनों से समिति द्वारा निर्धारित किये गये दण्ड शुल्क या उपविधि में नियमानुसार निर्धारित जुर्माने की वसूली पार्किंग प्रभारी द्वारा वसूल की जायेगी।

(6) निर्धारित पार्किंग स्थल/स्टैण्ड की परिधि में आने वाले क्षेत्र में वाहनों के पार्किंग के अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा। पार्किंग स्थल/स्टैण्ड की परिधि में किसी प्रकार का अतिक्रमण या निर्माण पाये जाने की दशा में पार्किंग का ठेका निरस्त करते हुये नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

4–प्राईवेट पार्किंग के लिये उपबन्ध–

(1) नगर पंचायत की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्य अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति अधिशासी अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे भूमि या भवन के किसी भाग पर वाहनों की पार्किंग नहीं करायेगा और न ही बिना नगर पंचायत से अनुबन्धित कराये कोई वसूली करेगा।

(2) अनुबन्ध हेतु निर्धारित प्रतिवर्ष शुल्क की दरें निम्नानुसार है–

[1] 50 वाहन खड़े करने की क्षमता वाले पार्किंग स्थल–रु0 50,000.00

[2] 50 से 100 तक वाहन खड़े करने की क्षमता वाले पार्किंग स्थल–रु0 1,00,000.00

[3] 100 से 200 तक वाहन खड़े करने की क्षमता वाले पार्किंग स्थल–रु0 2,00,000.00

[4] 200 से ऊपर वाहन खड़े करने की क्षमता की क्षमता वाले पार्किंग स्थल–रु0 3,00,000.00

वाहन की क्षमता अनुसार नगर पंचायत गोवर्धन, मथुरा द्वारा निर्धारित पार्किंग शुल्क जमा करते हुये अनुबन्धित कराना आवश्यक होगा।

(3) प्राईवेट पार्किंग संचालक नगर पंचायत गोवर्धन मथुरा द्वारा निर्धारित प्रति वाहन पार्किंग शुल्क की दरों से अधिक वसूली नहीं करेगा।

(4) प्राईवेट पार्किंग संचालक को पार्किंग स्थल पर समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार एवं उनमें उल्लिखित जनसुविधाओं यथा शौचालय, पेयजल व्यवस्था तथा बैठने के लिये टीन शेड एवं कुर्सी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

(5) ठेकेदार के पार्किंग कर्मचारियों का ड्रैस निर्धारित हो।

(6) पार्किंग रसीदों पर पार्किंग स्वामी का नाम, पता व मोबाईल नं0 अंकित होना चाहिये।

(7) पार्किंग करने वाले वाहन स्वामी का नाम, वाहन नं0, व समय रसीदों पर अंकित किया जाये।

(8) पार्किंग स्थल पर निर्धारित रेट लिस्ट का बोर्ड लगाया जाये।

(9) पार्किंग स्थल पर गाड़ी चोरी आदि की जिम्मेदारी पार्किंग स्वामी की होगी।

(10) पार्किंग स्वामी व निकाय के बीच विवाद की होने की स्थिति में कार्यकारिणी समिति द्वारा विवाद निस्तारित किया जायेगा।

5–पार्किंग शुल्क दरें–

नगर पंचायत गोवर्धन मथुरा सीमा क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग शुल्क (सवारी भरने या माल उतारने एवं चढ़ाने हेतु) की प्रतिदिन दरें निम्नवत होगी–

वाहन का नाम	पार्किंग शुल्क
	रु0
1–ट्रक व बस मिनी बस, मेटाडोर	200.00
2–कार, जीप, टैक्सी सूमो आदि	100.00
3–टैम्पो, थ्री-व्हीलर, ई-रिक्शा	50.00
4–मोटर साइकिल, स्कूटर	20.00
5–साईकिल	05.00

नोट–उक्त दरें 12 घण्टे तक प्रभावी रहेंगी।

6–(क) पार्किंग स्थल/स्टैण्ड का चयन–

(1) पार्किंग स्थलों/स्टैण्डों के चयन हेतु लिपिक, जे0ई0 सिविल, पार्किंग प्रभारी व कम से कम एक जनप्रतिनिधि की गठित समिति द्वारा नगर क्षेत्र के सभी पार्किंग स्थलों/स्टैण्डों का स्थलीय सत्यापन कर सूची अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गोवर्धन, मथुरा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

(2) पार्किंग स्थल के चयन के अतिरिक्त निविदा/अनुबन्ध की शर्तों एवं दण्ड शुल्क आदि निर्धारित करने का अधिकार समिति को होगा। जो तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक समिति द्वारा कोई नया निर्णय न किया जाये।

(3) समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी पार्किंग स्थलों/स्टैण्डों की सूची, निविदा/अनुबन्ध की शर्तों एवं दण्ड शुल्क आदि पर अन्तिम रुप से निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गोवर्धन, मथुरा में निहित होगा।

7–नियम व शर्तें–

(क) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व धर्मार्थ कार्य में लगे वाहन तथा संस्थानों/विद्यालयों के ऐसे वाहन जो छात्र-छात्राओं को ले जाने में प्रयुक्त होते हैं, पार्किंग शुल्क से मुक्त होंगे।

(ख) नगर पंचायत सीमान्तर्गत चलने वाले सवारी वाहनों एवं माल वाहनों जो नगर पंचायत सीमा में सवारी उतारने एवं माल लोड/अपलोड़ करने वाले वाहनों पर पार्किंग/स्टैण्ड शुल्क देना अनिवार्य होगा।

(ग) समस्त सार्वजनिक वाहन (सवारी वाहन) अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गोवर्धन मथुरा द्वारा निर्धारित किये गये पार्किंग स्थल/स्टैण्ड पर ही खड़े होंगे। पार्किंग स्थलों/स्टैण्ड़ों का चयन तथा स्थान परिवर्तन करने का अधिकार समिति में निहित होगा।

(घ) निर्धारित पार्किंग स्थल/स्टैण्ड के अतिरिक्त वाहनों को खड़ा कर सवारी भरने पाये जाने पर अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, गोवर्धन मथुरा द्वारा निर्धारित की गयी धनराशि दण्ड स्वरूप उनके द्वारा वसूली की जायेगी।

(ड) पार्किंग शुल्क का ठेका नगर पंचायत सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त पार्किंग स्थलों/स्टैण्डों का एक साथ या अलग-अलग नियुक्त समिति द्वारा लिये गये निर्णय एवं निर्धारित किये गये शर्तों के अनुसार प्रत्येक वर्ष तक किया जाता रहेगा जब तक समिति द्वारा कोई नया निर्णय न किया गया हो, किन्ही परिस्थितियों में यदि समिति द्वारा लिये गये निर्णय में कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है तो उक्त परिस्थिति में अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गोवर्धन मथुरा द्वारा लिये गये निर्णयों को अन्तिम माना जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के पूर्व समस्त ठेके निविदा या खुली बोली के माध्यम से सम्पादित कर लिये जायेंगे किन्हीं कारणों से यदि ठेका दिनांक 31 मार्च के पश्चात् किया जाता है तो प्रत्येक दशा में ठेका सम्बन्धित वित्तीय वर्ष तक (31 मार्च तक) ही मान्य होंगे। ठेका न होने की दशा में निर्धारित दर नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा निर्धारित शुल्क पर वसूली की जायेगी।

(च) अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गोवर्धन मथुरा द्वारा स्वीकृति ठेके की आधी धनराशि तत्काल नगर पंचायत कोष में जमा करनी होगी। पूर्ण ठेके की अवशेष धनराशि 01 अक्टूबर से पूर्व जमा करनी होगी। स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित स्टाम्प पर नियमानुसार अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पादित करानी होगी। ठेके के समय निविदा में दर्शायी गयी समस्त औपचारिकताओं के पूर्ण किये जाने के पश्चात् ही स्वीकृत ठेके की वसूली हेतु ठेकेदार को अधिकार-पत्र दिया जायेगा। ठेका स्वीकृत होने पर वसूली में प्रयुक्त की जानी वाली रसीदों पर अंकित क्रमांकों की प्रविष्टि नगर पंचायत कार्यालय से प्रमाणित कराना आवश्यक होगा। नियमानुसार निष्पादित किये गये अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की दशा में ठेका निरस्त करने का सर्वाधिकार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गोवर्धन मथुरा में निहित होगा।

8–शास्ति और अपराधों का प्रशमन–

(1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो रु0 5,000.00 तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में प्रथम उल्लंघन तिथि की सिद्धि के पश्चात् ऐसे दिन के लिये जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा ऐसे जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिये निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अधिक धनराशि वसूल करने पर अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

खैमचन्द शर्मा,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत गोवर्धन,
मथुरा।

सूचना

मैं मीरा देवी पुत्री राम नरेश निवासी मुंगराडीह, मुंगराबादशाहपुर, तह0 मछलीशहर, जिला जौनपुर फर्म M/s. DIAMOND ENTERPRISES, G-60, SIDA SATHARIA, MACHHALISHAHAR, DISTT. JAUNPUR, U.P. की अधिकृत साझेदार होने की हैसियत से यह सूचना देती हूँ कि उपरोक्त फर्म में पहले दो साझेदार क्रमशः मीरा देवी, रवि कुमार थे, जिसमें दिनांक 05.06.2022 को द्वितीय साझेदार रवि कुमार ने उक्त फर्म में अपना हक हिस्सा लेकर फर्म से पृथक हो गये अब उनकी उक्त फर्म में किसी भी प्रकार की देनदारी या लेनदारी नहीं है। उक्त फर्म में उसी दिन अरूण कुमार नाविक, दीपक कुमार नाविक सम्मिलित किये गये। अतः अब उक्त फर्म में अब तीन साझेदार क्रमशः मीरा देवी, अरूण कुमार नाविक, दीपक कुमार नाविक हैं। कारोबार यथावत है। मैं प्रथम साझेदार मीरा देवी पुत्री श्री रामनरेश निवासी–मुंगराडीह, मुंगराबादशाहपुर तह0, मछलीशर, जिला–जौनपुर, द्वितीय साझेदार अरूण कुमार नाविक पुत्र श्री साधुराम नाविक निवासी ग्रा0 मानिकापुर, पो0 शंकरगंज, जिला–जौनपुर, तृतीय साझेदार दीपक कुमार नाविक पुत्र श्री साधूराम निवासी खसरा नं0 432 मदर पाइड विद्यालय के पास अलीपुर उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली, 110036 फर्म M/s. DIAMOND ENTERPRISES, G-60, SIDA SATHARIA. MACHHALISHAHAR, DISTT, JAUNPUR, U.P. का साझेदार हूं। जिसमें निम्न परिवर्तन किया जा रहा है फर्म का पूर्व नाम M/s. DIAMOND ENTERPRISES G-60 SIDA SATHARIA, MACHHALISHAHAR, DISTT., JAUNPUR U.P. फर्म का वर्तमान नाम M/s. DEEPAK AND PAPPU WIRENETTING G-60, SIDA SATHARIA, MACHHALISHAHAR, DISTT. JAUNPUR U.P. परिवर्तन की तारीख 05.06.2022, व्यवसाय का स्थान-G-60, SIDA SATHARIA, MACHHALISHAHAR, DISTT. JAUNPUR U.P.

मीरा देवी।

सूचना

सर्वसाधाराण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स रॉवली डवलपर्स एण्ड एसोसिएट्स, ग्राम पिपलेहड़ा, तहसील धौलाना, जिला हापुड–201015 उ0प्र0 फाईल संख्या–HPU/0009908 के साझीदार श्री रविन्द राठौर दि0 02 अगस्त, 2022 से फर्म साझेदारी से सेवानिवृत्त हो गये हैं व सप्लीमेंटरी डीड दि0 02 अगस्त, 2022 के अनुसार वर्तमान साझीदार– 1. श्री दीपक अग्रवाल, 2.. श्री सनी गरूड़, 3. श्री मनीष कुमार गोयल, 4. श्री अधीप महरोत्रा, 5.शुभम सिंघल हैं।

सनी गरूड़,
साझीदार।

सूचना

सर्वसाधाराण को सूचित किया जाता है कि मे0 आदर्श सेवा केन्द्र औडिहार, सैदपुर गाजीपुर में चंद्रिका प्रसाद गुप्ता, मोहन लाल गुप्ता, बृजकिशोर गुप्ता, चंद्रप्रकाश जायसवाल आपस में पार्टनर थे, जिसमें चंद्रिका प्रसाद गुप्ता जी का निधन दिनांक 05 नवम्बर, 2020 को हो गया। दिनांक 07 नवम्बर, 2020 को संतोष कुमार गुप्ता को नया पार्टनर सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में संतोष कुमार गुप्ता, मोहन लाल गुप्ता, बृजकिशोर गुप्ता व चंद्रप्रकाश जायसवाल चार पार्टनर उक्त फर्म में हैं।

बृजकिशेर गुप्ता,
मे0 आदर्श सेवा केन्द्र औडिहार,
सैदपुर गाजीपुर।

सूचना

सर्वसाधाराण सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स "एस0आर0 ट्रेडर्स," सब्नीग्राम स्ट्रीट नजीबाबाद, जिला बिजनौर (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 13 अगस्त, 2022 को फर्म का पूर्व पताः–सब्नीग्राम स्ट्रीट नजीबाबाद, जिला बिजनौर (यू0पी0) से परिवर्तित करके नया पता–श्याम भवन कोटद्वार रोड, अपो0 न्यू तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर किया गया है।

अमित अग्रवाल,
पार्टनर,
फर्म मैसर्स "एस0आर0 ट्रेडर्स",
सब्नीग्राम स्ट्रीट नजीबाबाद,
जिला बिजनौर (यू0पी0)।

सूचना

फर्म मैसर्स हकीकत राय एण्ड सन्स 35, जयपुर हाउस मर्केट आगरा पत्रावली संख्या एजी/10848 में दिनांक 14 जुलाई, 2022 को श्रीमती बबिता अग्रवाल पत्नी श्री दीपक बाबू निवासी–सी/91 गांधी नगर, मुरादाबाद फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हुई, दिनांक 19 जुलाई, 2022 को श्री भरत बंसल पुत्र स्व0 अशोक बंसल निवासी–202 फील्ड मार्शल करियप्पा रोड बालूगंज, आगरा फर्म की भागीदारी में सम्मिल्लित हुये। वर्तमान फर्म में साझीदार श्री रचित मल्होत्रा, श्री अनिल अग्रवाल, श्रीमती सविता अग्रवाल, श्री भरत बंसल हैं।

रचित मल्होत्रा,
साझेदार,
मैसर्स हकीकत राय एण्ड संन्स,
35, जयपुर हाउस मार्केट आगरा।

सूचना

सर्वसाधाराण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स– आर्या फूड इंडस्ट्रीज राजा बाजार, पो0 पुरानी बस्ती, जिला बस्ती, उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 20 जनवरी, 2017 से श्री रचित आर्य, श्रीमती अर्चना आर्य, श्रीमती रश्मी आर्य व श्रीमती कंचन लता आर्य एवं श्रीमती रजनी आर्य जी साझेदार थे उक्त फर्म कार्यालय सहायक राजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स, गोरखपुर में पंजीकरण संख्या जी–3138 पर पंजीकृत है। यह की साझेदार श्री रचित आर्य जी की मृतक दिनांक 10 मई, 2022 को हो गयी है तथा साझेदारी डीड दिनांक 23 जून, 2022 से श्री ओमकार आर्य जी उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हुए हैं। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

अर्चना आर्य/साझेदार,
मेसर्स–आर्याफूड इंडस्ट्रीज,
राजा बाजार, पो0 पुरानी बस्ती,
जिला बस्ती, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधाराण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स अनुभव इण्टरप्राईजेज ग्राम-गरयाकोल, पो0-रियाँव, तहसील-बांसगांव, जिला गोरखपुर, उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 26 फरवरी, 2016 से श्री आशुतोष राठौर व श्री संजय कुमार सिंह एवं श्री युगेश सिंह जी साझेदार थे। उक्त फर्म कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स गोरखपुर में पंजीकरण संख्या-जी-3943 पर पंजीकृत है। यह की साझेदारी डीड दिनांक 11 जुलाई, 2022 से श्री युगेश सिंह जी उक्त फर्म से अपना हक और हिस्सा लेकर रिटायर्ड हो गये हैं। अब फर्म में श्री आशुतोष राठौर एवं संजय कुमार सिंह जी शेष साझेदार हैं। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

श्री आशुतोष राठौर,
साझेदार,
मेसर्स अनुभव इण्टरप्राईजेज ग्राम-गरयाकोल,
पो0 रियाँव, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–24 हिन्दी गजट–भाग 8–2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।